रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 3 अक्टूबर, 2020 ई० (आश्विन 11, 1942 शक संवत्) [संख्या 39

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	941–954	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	679–694	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	189–194	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	695–702	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	. .	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	283–286	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	545–569	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-2

प्रोन्नति

26 अगस्त, 2020 ई0

सं0 05/2020/1420/दो-2-2020-34/2(18)/2019—उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतम वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000 (लेवल-14) में पदोन्नति हेतु दिनांक 13 जुलाई, 2020 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत नियुक्ति अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 02/2020/1217/दो-2-2020-34/2(18)/2019, दिनांक 28 जुलाई, 2020 द्वारा उच्चतम वेतनमान में दिनांक 02 जून, 2015 से श्री भोलानाथ मिश्र, पी0सी0एस0 की सेवानिवृत्ति की तिथि 31 अक्टूबर, 2016 तक के लिये सृजित 01 अधिसंख्य पद के सापेक्ष श्री भोला नाथ मिश्र, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 को उच्चतम वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000 (लेवल-14) में उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 02 जून, 2015 से प्राकल्पिक प्रोन्नति प्रदान करने की महामहिम राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री भोला नाथ मिश्र, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 को प्रदान की गयी उक्त प्राकल्पिक प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन के एरियर का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में पृथक में निर्णय लिया जायेगा।

01 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 07/2020/1461/दो-2-2020-19/2(26)/2019—विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2020 में की गयी संस्तुति के क्रम में महामहिम राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,900 (लेवल-13क) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारीगण को उच्चतम वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000 (लेवल-14) में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अधिकारी का नाम/वर्तमान तैनाती/बैच
1	2
	सर्वश्री—
1	भिखारी राम, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) मैनपुरी, 1999
2	लक्ष्मी शंकर सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद, 1999
3	राम निवास शर्मा, विशेष सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, 1999
4	श्रीमती वन्दना त्रिपाठी, सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज, 2000
5	समीर, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, 2000
6	कु0 अर्चना गहरवार, सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, लखनऊ, 2000
7	कुमार विनीत, अपर निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद, लखनऊ, 2000
8	विशाल सिंह, सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी, 2000
9	धनन्जय शुक्ला, विशेष सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन, 2000
10	कपिल सिंह, निदेशक, राज्य पोषण मिशन, लखनऊ, 2000
11	आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ, 2000

1	2
	सर्वश्री–
12	कामता प्रसाद सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर, 2000
13	राम सहाय यादव, विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन, 2000
14	राम सिंह वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ, 2000
15	सुश्री मंजूलता, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उ0प्र0 शासन, 2000

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

वित्त विभाग

[सेवायें]

अनुभाग-2

नियुक्ति

27 अगस्त, 2020 ई0

सं0 65/2020/एस-2-1591/दस-2020-128/2016–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के चयन के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 (लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रशिक्षण हेतु निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम	पता
1	2	3
	सर्वश्री–	
1	सुश्री सुनन्दा मिश्रा, पुत्री श्री हेरम्ब मिश्रा	ब्लाक-2, फ्लैट-9, टाइप-4, आफीसर्स कालोनी, डालीबाग, लखनऊ, उ0प्र0-226001
2	सिद्धार्थ दीक्षित पुत्र श्री रमा शंकर दीक्षित	ग्राम-मगरायर पाण्डेय टोला, तहसील-बीघापुर, जनपद-उन्नाव-209827
3	अजय आनन्द पुत्र श्री कृष्णानन्द चक्रवर्ती	म0नं0-13, बुद्ध विहार कालोनी, लखनऊ (उ0प्र0) 227105
4	आशीष पुत्र श्री सुभाष चन्द	म0नं0-52, माता मन्दिर वाली गली, मोदीपोन कालोनी, रोड, मोदीनगर, गाजियाबाद, उ0प्र0-201204
5	विकास गौतम पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह	म0नं0-284, अजन्ता कालोनी, गलीनं0-11, जनपद मेरठ, उ0प्र0-250004

1–उक्त अभ्यर्थी आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर निम्नलिखित सूचनायें/प्रमाण-पत्र 02 प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे–

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ङ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार उक्त अभ्यर्थियों की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो इनकी नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4—यदि उक्त निर्धारित अवधि में वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का कोई प्रार्थना-पत्र उक्त अवधि के अन्दर शासन को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि वे कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा, किन्तु यदि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का कोई आवेदन-पत्र, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुये समयान्तर्गत दिया जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में 01 माह तक और बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु यदि इसके बावजूद भी उनके द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन स्वयमेव समाप्त हो जायेगा।

5—उक्त अभ्यर्थियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम 24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम 4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

6—उक्त अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

7—पदभार ग्रहण करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ तत्काल आधारभूत कोर्स एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कराने हेतु अपने स्तर से सम्यक् आदेश/निर्देश जारी किये जायेंगे।

8—सम्बन्धित अधिकारी को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाले निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भांति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित सम्वर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

9—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्तें उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिये सम्बन्धित अधिकारी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10–प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियमों के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,
प्रकाश बिन्दु,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

नियुक्ति

22 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 21/2020/1159/छः पु0से0-1-2020-622 (05)/2019–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद पर संस्तुत/चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,57,700) में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	मेरिट क्र0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता
1	2	3	4	5
		सर्वश्री–		
1	8	सुश्री जुबेदा माजिद खान, पुत्री श्री माजिद हुसैन खान	23-11-1991	कसाना ए नय्यर, 359 खेसग्यान, खुर्जा, बुलन्दशहर, उ0प्र0, पिन-203131
2	19	सुश्री अंजली कटारिया, पुत्री श्री बिजेन्द्र कुमार	27-09-1989	सेक्टर 16ए/2114 वशुंधरा गाजियाबाद, उ0प्र0, पिन-201012
3	20	आशुतोष कुमार, पुत्र श्री गुलाब सिंह	18-03-1989	हाउस नं0-01, वीआईपी कालोनी लेन नं0-1 भबुआ कैमूर बिहार, पिन-821101
4	25	सुश्री हर्षिता तिवारी, पुत्री श्री भोला नाथ तिवारी	24-05-1991	गांव डिघिया, पोस्ट बभनी हेथर, थाना मांडा, तहसील मेजा, जिला प्रयागराज, उ0प्र0 पिन-212303
5	32	अखिलेश वर्मा, पुत्र श्री रमाकांत वर्मा	01-02-1985	रमाकांत वर्मा, हाऊस नं0-65 गांव व पोस्ट अमारी कोइलासा, आजमगढ़, उ0प्र0, पिन-276142
6	33	अमित सिंह, पुत्र श्री जय सिंह	07-11-1982	अमित सिंह, बैसकांति, कौशाम्बी, उ0प्र0, पिन-212206
7	38	जितेन्द्र कुमार वर्मा, पुत्र श्री हरीराम वर्मा	01-01-1973	हरीराम वर्मा, ग्राम बिजोरयिा, पोस्ट हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी, उ0प्र0, पिन-262802
8	41	अशोक कुमार, पुत्र श्री भगवती प्रसाद	02-12-1987	भगवती प्रसाद, गांव नौबस्ता, पोस्ट सलेह नगर, लखनऊ, उ0प्र0, पिन-227115
9	44	अम्बर कुमार भास्कर, पुत्र श्री सोनेलाल भास्कर	11-06-1980	एफ–85, सेक्टर–22 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0, पिन-201301

2–प्रस्तर-1 में अंकित उपर्युक्त अभ्यर्थियों को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त अभ्यर्थियों को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

3–प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में उक्त चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय किया जायेगा।

4–समस्त नियुक्त अभ्यर्थियों से नियमानुसार संगत प्रारूप पर इण्डियन अफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा, समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा, दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र आदि दो प्रतियों में प्राप्त करने की कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

5–उपर्युक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

6–उक्त नियुक्ति आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एस0एल0 संख्या 9610/2017 में पारित होने वाले निर्णय के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

सं0 22/2020/1141/छःपु0से0-1-2020-622(25)/2019–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद पर संस्तुत/चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,57,700) में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	मेरिट क्र0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता
1	2	3	4	5
		सर्वश्री–		
1	8	दानुष बंसल, पुत्र श्री संजीव कुमार	13-09-1993	संजीव कुमार, 79, फलकिया एन्कलेव नियर मिनि सेक्रेट्रियल, पटियाला, पंजाब पिन-147001
2	24	सुश्री सौम्या सिंह, पुत्री श्री पुरूषोत्तम कुमार	03-04-1992	सौम्या सिंह, रघुकुल तुलसी विहार कालोनी, कालू कुवान बांदा, उत्तर प्रदेश, पिन-210001
3	28	हर्ष पाण्डेय, पुत्र श्री केशवा नन्द पाण्डेय	14-11-1989	के0एन0 पाडेय, 38 बेतियाहाता ललिता, निवास के सामने, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-273001
4	32	गौरव सिंह, पुत्र श्री सुधीश कुमार	15-12-1987	एस0आर0एस0 यादव, 16 द्वारिकापुरी, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन-226016
5	34	विनय कुमार यादव, पुत्र श्री विनोद कुमार	24-04-1993	43 धनुन्दा, अटेली, महेन्द्रगढ़, हरियाणा, पिन-123021
6	50	सुश्री प्रशाली गंगवार, पुत्री श्री मित्र मयंक गंगवार	20-03-1994	मृदुला गंगवार, 911, राजनगर कालोनी, नियर सैटेलाइट बस स्टैण्ड, बरेली, उत्तर प्रदेश पिन-243001

1	2	3	4	5
		सर्वश्री–		
7	56	सूर्यबली मौर्या, पुत्र श्री भरत लाल मौर्या	04-03-1991	भरत लाल मौर्या, हाऊस नं0-218, खजूरगांव, पोस्ट साहूपुरी, चन्दौली, उत्तर प्रदेश पिन-221009
8	57	संगम कुमार, पुत्र श्री पंजाबी राम	20-01-1987	पंजाबी राम, भरसर, बिरनो, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-233300
9	78	देवेश सिंह, पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह	20-07-1990	देवेश सिंह, B-15 Street no. 2, भोला नाथ नगर एक्सटेंशन ईदगाह रोड, ईस्ट दिल्ली, पिन-110032

2–प्रस्तर-1 में अंकित उपर्युक्त अभ्यर्थियों को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त अभ्यर्थियों को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

3–प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में उक्त चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय किया जायेगा।

4–उपर्युक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5–समस्त नियुक्त अभ्यर्थियों से नियमानुसार संगत प्रारूप पर इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा, समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा, दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र आदि दो प्रतियों में प्राप्त करने की कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

आज्ञा से,
महेन्द्र प्रसाद भारती,
संयुक्त सचिव।

शुद्धि-पत्र

27 अगस्त, 2020 ई0

सं0 1414(2)/6-पु0-1-20-1300(32)/88टीसी-II–उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा संवर्ग के रेडियो निरीक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक रेडियो अधिकारी के रिक्त पदों पर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 2334 (एसएस)/1997 अशोक कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 7364 (एसएस)/2015 प्रदीप कुमार मिश्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अग्रिम आदेशों के अधीन पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या 1414/6-पु-1-20-1300(32)/88टी0सी0-II, दिनांक 07 अगस्त, 2020 निर्गत किया गया।

2–उक्त विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश दिनांक 07 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक-1 से 7 के कालम-3 एवं 5 में क्रमशः रु0 4,800, लेवल-8 (47,600-1,51,100) के स्थान पर त्रुटिवश 9,300-34,800 ग्रेड पे

रु0 4,800 लेवल-8 तथा रु0 5,400 लेवल-10 (56,100-1,77,500) के स्थान पर 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, लेवल-9 टंकित हो गया है। अतः संदर्भित विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश दिनांक 07 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-1 की तालिका संशोधन करते हुये तालिका को निम्नानुसार पढ़ा जाये–

क्र0 सं0	रेडियो निरीक्षक के नाम	ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स चार्ट के अनुसार वेतनमान लेवल	सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर पदोन्नति	ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स चार्ट के अनुसार वेतनमान लेवल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री–				
1	बच्चू सिंह	4,800, लेवल-8, (47,600-1,51,100)	सहायक रेडियो अधिकारी	5,400, लेवल-10, (56,100-1,77,500)	
2	अशोक कुमार मिश्र	4,800, लेवल-8, (47,600-1,51,100)	सहायक रेडियो अधिकारी	5,400, लेवल-10, (56,100-1,77,500)	
3	जय प्रकाश सिंह	4,800, लेवल-8, (47,600-1,51,100)	सहायक रेडियो अधिकारी	5,400, लेवल-10, (56,100-1,77,500)	
4	अनिल कुमार	4,800, लेवल-8, (47,600-1,51,100)	सहायक रेडियो अधिकारी	5,400, लेवल-10, (56,100-1,77,500)	
5	कृष्ण कुमार सिंह राठौर	4,800, लेवल-8, (47,600-1,51,100)	सहायक रेडियो अधिकारी	5,400, लेवल-10, (56,100-1,77,500)	
6	मोहन सिंह	4,800, लेवल-8, (47,600-1,51,100)	सहायक रेडियो अधिकारी	5,400, लेवल-10, (56,100-1,77,500)	
7	सुरेश कुमार मिश्र	4,800, लेवल-8, (47,600-1,51,100)	सहायक रेडियो अधिकारी	5,400, लेवल-10, (56,100-1,77,500)	

3–विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश दिनांक 07 अगस्त, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश में निहित अन्य आदेश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

आज्ञा से,
एस0पी0 उपाध्याय,
संयुक्त सचिव।

अनुभाग-9

अधिसूचना

शक्ति

11 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 2447(2)/छः-पु0-9-20-13(1)/2013–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 02, सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, जानकीपुरम विस्तार, सेक्टर-11, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा संचालित राज्य प्रवेश परीक्षा, 2020 के समस्त परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों को, जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1962) की धारा 2 के खण्ड (ढ) में परिभाषित है की आफ लाइन प्रवेश परीक्षा, दिनांक 20 सितम्बर, 2020 के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती है।

आज्ञा से,
भगवान स्वरूप,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 2447/VI-P-20-13(1)/2013,** dated September 11, 2020 :

No. 2447/VI-P-9-20-13(1)/2013

Lucknow dated : *September* 11, 2020

In exercise of the powers under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint for off line entrance Exam September 20, 2020 all the Superintendents of the examination centres of State Entrance Examination, 2020 conducated by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh, Jankipuram Vistar Sector-11, Jankipuram, Lucknow as defined in clause (n) of Section-2 of Uttar Pradesh Technical Education Act, 1962 (U.P. Act no. XVII of 1962) as Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrate and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said Code on such Executive Magistrates, to be exercised within the limits of the respective centres of which they are the Superintendents.

By order,
BHAGWAN SWARUP,
Sachiv.

न्याय विभाग

[अधिनस्थ न्यायालय]

अनुभाग-2

अधिसूचना

18 अगस्त, 2020 ई0

सं0 21/2020/1122/सात-न्याय-2-2020-27जी/2016टीसी–साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66, सन् 1984) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से सरकारी अधिसूचना संख्या 7/2016/162/सात-न्याय-2-2015-27जी/2016, दिनांक 25 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी अर्थात्–

क्रम संख्या	जिलों के नाम
1	2
58	अमरोहा
60	औरैया
71	बागपत
65	बलरामपुर
40	बांदा
66	भदोही (ज्ञानपुर)
61	चन्दौली
72	चित्रकूट

1	2
31	एटा
43	गाजीपुर
49	हमीरपुर
56	हापुड़
30	हाथरस
47	कन्नौज
63	कासगंज
57	कौशाम्बी
69	ललितपुर
68	महोबा
37	मिर्जापुर
42	रामपुर
70	श्रावस्ती

आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 21/2020/1122/Saat-Nyay-2-2019-27G/2016TC,** dated August 18, 2020 :

No. 21/2020/1122/Saat-Nyay-2-2019-27G/2016TC

Lucknow dated : *August* 18, 2020

In exercise of the powers under clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1987), the Governor in consultation with the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in Government Notification no. 7/2016/162/Saat-Nyay-2-2015-27G/2016, dated February 25, 2016.

Amendment

In the aforesaid Notification the following entries shall be omitted, namely–

Serial (no.)	Name of Districts
1	2
58	Amroha
60	Auraiya
71	Baghpat
65	Balrampur

1	2
40	Banda
66	Bhadohi at Gyanpur
61	Chandauli
72	Chitrakoot
31	Etah
43	Ghazipur
49	Hamirpur
56	Hapur
30	Hathras
47	Kannauj
63	Kasganj
57	Kaushambi
69	Lalitpur
68	Mahoba
37	Mirzapur
42	Rampur
70	Shravasti
52	Sonbhadra

By order,
J. P. SINGH-II,
Principal Secretary.

औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

25 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 810/77-2-20-5(3)पीएस/93–मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग, उ0प्र0 में सहायक निदेशक (मुद्रण) के लिये प्राविधानित उपनिदेशक (मुद्रण) की 02 रिक्ति के सापेक्ष नियमित नियुक्ति हेतु उ0प्र0 राजकीय मुद्रणालय और सम्बद्ध अधिष्ठान (राजकीय) (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1981 के सुसंगत नियमों एवं उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथा संशोधित) के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की संस्तुति के आधार पर श्री श्याम नारायण, सहायक निदेशक (मुद्रण) एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (मुद्रण) को उपनिदेशक (मुद्रण) के वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे 6,600 (7वाँ वेतनमान रु0 67,770-2,08,700 लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रोन्नत कर निम्नवत् तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	प्रोन्नत अधिकारी का नाम	प्रोन्नत पदनाम	मुद्रणालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री श्याम नारायण, सहायक निदेशक (मुद्रण), राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज	उपनिदेशक (मुद्रण)	राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में उपनिदेशक (मुद्रण) के रिक्त पद पर।
2	श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (मुद्रण), राजकीय मुद्रणालय, रामपुर	उपनिदेशक (मुद्रण)	राजकीय मुद्रणालय, रामनगर वाराणसी में उपनिदेशक (मुद्रण) के रिक्त पद पर।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग-8

सेवानिवृत्ति

16 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 1387/एक-8-2020-रा0-8–चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 622/ई-123/2018-19 (सेवा0नो0), दिनांक 08 सितम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उ0प्र0 चकबन्दी सेवा के निम्नलिखित अधिकारी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर तालिका के कालम-4 में उल्लिखित तिथि से सेवानिवृत्त होंगे–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
1	श्री विनोद कुमार जैन, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अलीगढ़	16-01-1961	31-01-2021

आज्ञा से,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

01 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 114/2020-1210सा0/23-1-20-36सा0/20–जनपद बिजनौर के फीना से चांदपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 10.50 कि0मी0) का नाम "शहीद नायक अशोक कुमार बाल्मिकी के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 378/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद बिजनौर के फीना से चांदपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 10.50 कि0मी0) का नामकरण "शहीद नायक अशोक कुमार बाल्मिकी मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 115/2020-1211सा0/23-1-20-36सा0/20–जनपद जौनपुर के सिद्दीकपुर मार्ग से भुकुरा होते हुये जमुहई मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 11.60 कि0मी0) का नाम "शहीद सैनिक राजेश कुमार सिंह" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 378/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद जौनपुर के सिद्दीकपुर मार्ग से भुकुरा होते हुये जमुहई मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 11.60 कि0मी0) का नामकरण "शहीद सैनिक राजेश कुमार सिंह मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 116/2020-1212सा0/23-1-20-36सा0/20–जनपद शामली के दिल्ली सहारनपुर रोड से निकली ग्राम जसाला की लिंक रोड (जसाला से कांधला मार्ग) (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.60 कि0मी0) का नाम "शहीद स्क्वाड्रन पायलेट मदनपाल" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 378/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद शामली के दिल्ली सहारनपुर रोड से

निकली ग्राम जसाला की लिंक रोड (जसाला से कांधला मार्ग) (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.60 कि0मी0) का नामकरण "शहीद स्क्वाड्रन पायलेट मदनपाल मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 117/2020-1213सा0/23-1-20-36सा0/20—जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर पतला निवाड़ी रघुनाथपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 9.800 कि0मी0) का नाम "शहीद अजय कुमार" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 378/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर पतला निवाड़ी रघुनाथपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 9.800 कि0मी0) का नामकरण "शहीद अजय कुमार मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 118/2020-1214सा0/23-1-20-36सा0/20—जनपद अम्बेडकरनगर स्थित बरियावन से टाण्डा मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 31.00 कि0मी0) का नाम "शहीद बजरंगी विश्वकर्मा" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 378/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर स्थित बरियावन से टाण्डा मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 31.00 कि0मी0) का नामकरण "शहीद बजरंगी विश्वकर्मा मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 119/2020-1215सा0/23-1-20-36सा0/20—जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड सरवनखेड़ा के अन्तर्गत रसूलपुर गोगोमऊ दुआरी सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 2.400 कि0मी0) का नाम "शहीद बड़े सिंह" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 378/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड सरवनखेड़ा के अन्तर्गत रसूलपुर गोगोमऊ दुआरी सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग लम्बाई 2.400 कि0मी0) का नामकरण "शहीद बड़े सिंह मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 120/2020-1216सा0/23-1-20-36सा0/20—जनपद देवरिया के अन्तर्गत छोटी गण्डक नहर पर निर्मित सेतु एवं पकड़ी से नौतन हथियागढ़ पिच रोड (सेतु लम्बाई 106 मी0 एवं ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 4.00 कि0मी0) का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी "शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 378/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद देवरिया के अन्तर्गत छोटी गण्डक नहर पर निर्मित सेतु (सेतु लम्बाई 106 मी0) का नामकरण "शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी सेतु" एवं पकड़ी से नौतन हथियागढ़ पिच रोड (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 4.00 कि0मी0) का नामकरण "शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 121/2020-1217सा0/23-1-20-36सा0/20—जनपद एटा के गिरोरा सरनऊ मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 8.00 कि0मी0) का नाम "शहीद किसान गुलाब सिंह" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख 378/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद एटा के गिरोरा सरनऊ मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 8.00 कि0मी0) का नामकरण "शहीद किसान गुलाब सिंह मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 122/2020-1218सा0/23-1-20-36सा0/20—जनपद गाजीपुर स्थित पारा कासिमाबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 18.20 कि0मी0) का नाम "शहीद शशांक कुमार सिंह" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 378/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद गाजीपुर स्थित पारा कासिमाबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 18.20 कि0मी0) का नामकरण "शहीद शशांक कुमार सिंह मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 123/2020-1219सा0/23-1-20-36सा0/20—जनपद चन्दौली के ग्राम बहादुरपुर पड़ाव भूपौली मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 11.50 कि0मी0) का नाम "शहीद अवधेश यादव" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 983/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ(2)/18, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद चन्दौली के ग्राम बहादुरपुर पड़ाव भूपौली मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई 11.50 कि0मी0) का नामकरण "शहीद अवधेश यादव मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 124/2020-1220सा0/23-1-20-36सा0/20—जनपद वाराणसी के ग्राम मिल्कोपुर उमरहा वाया तोफापुर मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 5.00 कि0मी0) का नाम "शहीद रमेश यादव" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 984/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ(2)/18, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद वाराणसी के ग्राम मिल्कोपुर उमरहा वाया तोफापुर मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 5.00 कि0मी0) का नामकरण "शहीद रमेश यादव मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—27 हिन्दी गजट—भाग 1—2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 3 अक्टूबर, 2020 ई० (आश्विन 11, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

बाँदा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

28 अगस्त, 2020 ई0

सं0 01(7)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी, बांदा प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम किटहाई, तहसील बबेरू, जिला बांदा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 610 रकबा 0.053 हे0, गाटा संख्या 611 रकबा 0.464 हे0, गाटा संख्या 617-मि0 रकबा 2.131 हे0, गाटा संख्या 627 रकबा 0.788 हे0 व गाटा संख्या 636 रकबा 0.604 हे0, कुल 05 किता रकबा 4.040 हे0 जिसकी मालियत रु0 32,32,000.00 (बत्तीस लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र को ग्राम सभा पन्नाह, ग्राम किटहाई में बुन्देलखण्ड ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत, खटान ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, बबेरू की संस्तुति/आख्या पत्र संख्या 1761/रा0नि0 आफिस, दिनांक 21 अगस्त, 2020 के आलोक में जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) बांदा की आख्या दिनांक 26 अगस्त, 2020 एवं शासनादेश दिनांक 03 जून 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	किटहाई	पन्नाह	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 445	610	0.053	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु।
						611	0.464	
						617-मि0	2.131	
						627	0.788	
						636	0.604	
						योग . .	**4.040**	

सं0 02(7)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी, बांदा प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम जलालपुर बॉगर, तहसील बबेरू, जिला बांदा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 436-मि0 रकबा 0.464 हे0, गाटा संख्या 437/1 रकबा 0.700 हे0, गाटा संख्या 438/1 रकबा 2.021 हे0, गाटा संख्या 459/2-मि0 रकबा 0.262 हे0, कुल 04 किता रकबा 3.447 हे0 एवं श्रेणी-6-2 ऊसर खाते में गाटा संख्या 1172 रकबा 1.111 हे0 सम्पूर्ण 05 किता रकबा 4.558 हे0 जिसकी मालियत रु0 36,46,400.00 (छत्तीस लाख छियालिस हजार चार सौ रुपये) मात्र को ग्राम सभा जलालपुर, ग्राम जलालपुर बांगर में अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, बबेरू की संस्तुति/आख्या पत्र संख्या 1760/रा0नि0 आफिस, दिनांक 21 अगस्त, 2020 के आलोक में जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) बांदा की आख्या दिनांक 26 अगस्त, 2020 एवं शासनादेश दिनांक 03 जून 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	जलालपुर बॉगर	जलालपुर	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 639	436-मि0	0.464	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु।
						437/1	0.700	
						438/1	2.021	
						459/2-मि0	0.262	
					6-2 ऊसर खाता संख्या 643	1172	1.111	
						योग . .	**4.558**	

07 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 173(7)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी, बांदा प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम बिलगांव, तहसील अतर्रा, जिला बांदा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 1568-ख रकबा 0.218 हे0 जिसकी मालियत रु0 2,61,600.00 (दो लाख इकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र को ग्राम सभा बिलगॉव में पुलिस चौकी, बिलगॉव स्थापित किये जाने हेतु पुलिस चौकी के पक्ष में पुनर्ग्रहण हेतु उप जिलाधिकारी, अतर्रा की संस्तुति/आख्या पत्र संख्या 1671/रा0नि0आ0, दिनांक 04 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश दिनांक 03 जून 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	बांदा	बिलगॉव	बिलगॉव	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 1679	1568-ख	हेक्टेयर 0.218	पुलिस चौकी बिलगॉव की स्थापना हेतु।

अमित सिंह बंसल,
जिलाधिकारी, बाँदा।

जालौन स्थान उरई के जिलाधिकारी की आज्ञायें

08 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 1609/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	उरई	उरई	बनफरा	89	हेक्टेयर 0.486 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि-नयी परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना बनफरा।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,21,760.00 (मु0 दो लाख इक्कीस हजार सात सौ साठ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1610/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	उरई	नुनवई	486	1.214 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि-नयी परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना नुनवई।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,92,000.00 (मु0 एक लाख बानबे हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

10 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 1613/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	गोरा चिरइया	105-ख	0.539 में से 0.160	5-3-ड़/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत मढ़ेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना गोरा चिरइया।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,90,400.00 (मु0 एक लाख नब्बे हजार चार सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1614/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	अकबरपुरा	60-क	0.101	5-3-ड़/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत मढ़ेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना अकबरपुरा।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,190.00 (मु0 एक लाख बीस हजार एक सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1615/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	पतराही	338	0.413 में से 0.160	6-3/कब्रिस्तान और शमशान (मरघट), ऐसे कब्रिस्तानों और शमशानों को छोड़कर जो खातेदारों या आबादी क्षेत्र में स्थित हो (बेहड़)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत मढ़ेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना पतराही।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1616/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	लिड़ऊपुर	255	0.186	6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो (बेहड़)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत मढ़ेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना लिड़ऊपुर।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,39,500.00 (मु0 एक लाख उन्तालीस हजार पांच सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1617/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	मई	688	0.981 में से 0.160	5-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो (बीहड़)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत मढ़ेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना मई।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,90,400.00 (मु0 एक लाख नब्बे हजार चार सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1618/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	महूटा	50	हेक्टेयर 0.243 में से 0.160	6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो (बेहड़)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत मढ़ेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना महूटा।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,90,400.00 (मु0 एक लाख नब्बे हजार चार सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1619/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	हनुमन्तपुरा	757-क	हेक्टेयर 0.518 में से 0.160	6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित (बेहड़)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत मढ़ेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना हनुमन्तपुरा।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1620/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	उरई	उरई	दद्री	1819-मि0	हेक्टेयर 22.9450 में से 0.161	6-2/अकृषिक भूमि-स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। (बेहड़)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना दद्री।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 67,620.00 (मु0 सरसठ हजार छः सौ बीस रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

डा0 मन्नान अख्तर,
जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञा

10 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 829/डी0एल0आर0सी0/2020–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम अरनियाँ मंसूरपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी खुर्जा द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 09 सितम्बर, 2020 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.300 हे0 भूमि शासनादेश संख्या 1328/नौ–5–20–56सा/2018, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में नगर विकास विभाग के निवर्तन में रखते हुये नगरपालिका परिषद्, खुर्जा को अमृता योजना के अन्तर्गत एफ0एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष, (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	अरनियाँ मंसूरपुर	1147	0.300	5-3-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि, बंजर	नगर विकास विभाग के निवर्तन में रखते हुये नगरपालिका परिषद्, खुर्जा को अमृता योजना के अन्तर्गत एफ0एस0 टी0पी0 के निर्माण हेतु।

रविन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

भदोही के जिलाधिकारी की आज्ञायें

15 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 2031 (i)/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	औराई	भदोही	गोहिलांव	319-मि0	0.038	नई परती	ग्राम पंचायत विभाग, उ0प्र0 शासन (पंचायत भवन, गोहिलांव, वि0खं0 औराई हेतु।

सं0 2031 (ii)/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	औराई	भदोही	गोहिलांव	319-मि0	0.038	नई परती	ग्राम पंचायत विभाग, उ0प्र0 शासन (सामुदायिक भवन, गोहिलांव, वि0खं0 औराई हेतु।

सं0 2031 (iii)/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	औराई	भदोही	गोहिलांव	319-मि0	0.006	नई परती	ग्राम पंचायत विभाग, उ0प्र0 शासन (सार्वजनिक शौचालय, गोहिलांव, वि0खं0 औराई हेतु।

सं0 2032/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	औराई	भदोही	कनेहरी	278-मि0	0.101	ऊसर	ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन (जी0आई0एस0 पावर स्टेशन हेतु)।

सं0 2033/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय

अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	नौधन	1402-ग-मि0	0.091	ऊसर	बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन (प्राथमिक विद्यालय, नौधन हेतु)।

सं0 2034/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	पाली	17-मि0	0.063	नवीन परती	बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन [प्राथमिक विद्यालय, पाली (द्वितीय) हेतु]।

सं0 2035/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश

दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	पाली	17-मि0	0.076	नवीन परती	बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन [जूनियर हाई स्कूल, पाली (द्वितीय) हेतु]।

सं0 2036/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	केवटाही	137-मि0	0.063	नई परती	ग्राम पंचायत विभाग, उ0प्र0 शासन (पंचायत भवन, केवटाही, वि0खं0 डीघ हेतु)।

सं0 2037/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश

दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	अमिलौर उपरवार	813	0.051	आबादी	गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन [पुलिस चौकी अमिलौर उपरवार (रामपुर घाट) जनपद भदोही] हेतु।

राजेन्द्र प्रसाद,
जिलाधिकारी, भदोही।

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

07 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2017 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/2743/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री अभिषेक कुमार तिवारी पुत्र श्री शिव प्रकाश तिवारी, ग्राम-कुकुढा, पोस्ट-अम्बा, थाना-चौबेपुर, वाराणसी-221104 (अनुक्रमांक-317197) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री अभिषेक कुमार तिवारी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री अभिषेक कुमार तिवारी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री अभिषेक कुमार तिवारी की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री अभिषेक कुमार तिवारी को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री अभिषेक कुमार तिवारी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, प्रयागराज जोन, प्रयागराज के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री अभिषेक कुमार तिवारी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अमृता सोनी,
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पी0एस0यू0पी0—27 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 3 अक्टूबर, 2020 ई० (आश्विन 11, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

19 अगस्त, 2020 ई0

सं0 स्था0नि0सहा0/इक्कीस-1(2013-14)564–उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो उ0प्र0 पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम सन् 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बाराबंकी शासन स्तर से प्रेषित मॉडल बाईलाज के अनुसार जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लाइसेंस फीस की दरों में किये गये संशोधन को नियंत्रित व विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनाई गयी है। मेरे द्वारा उक्त उपविधि की पुष्टि कर दी गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) 1994 की धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत बाराबंकी ने आयुक्त महोदय के स्वीकृत एवं राजकीय गजट दिनांक 22 जून, 1991 एवं गजट दिनांक 11 अक्टूबर, 1997 एवं उ0प्र0 राजकीय गजट दिनांक 26 नवम्बर, 2005 तथा 10 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित बाराबंकी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कारखाना एवं फैक्ट्रियों आदि को नियंत्रित विसनियमित करने हेतु प्रचलित उपविधियों की लाइसेंस फीस दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पंचायत राज अनु0–02 उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 1152/33–2–201–62जी/2017, दिनांक 04–04–2018 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में पूर्व प्रचलित उपविधियों में संशोधन/परिवर्धन किया गया है। जिसकी पुष्टि जिला पंचायत की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के प्रस्ताव सं0–08 द्वारा कर दी गयी है। पारित प्रस्ताव के क्रम में हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र राष्ट्रीय सहारा के अंक 02 अगस्त, 2019 हिन्दुस्तान के अंक 02 अगस्त, 2019 एवं अपना अखबार के अंक 18 अगस्त, 2019 में संशोधित उपविधि का प्रकाशित कराकर जनसामान्य से

आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। निर्धारित तिथि तक प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों को समेकित करते हुए संशोधित उपविधि को जिला पंचायत की सामान्य बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2020 के प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा स्वीकृतार्थ रखा गया। जिसे सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 242(2) के अनुसार आयुक्त महोदय अयोध्या मण्डल अयोध्या के अनुमोदन/स्वीकृति के पश्चात् राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से संशोधित दरें/उपविधि प्रभावी हो जायेगी।

उप नियम

1–यह उपविधि जिला पंचायत, बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों से लाइसेंस शुल्क से सम्बन्धित उपविधि कहलायेगी।

2–यह उपविधि जिला पंचायत बाराबंकी के समस्त ग्रामीण अंचल की वर्तमान और भविष्य में लगने वाले चलने वाले विभिन्न प्रकार के उद्योगों को नियंत्रित करेगी।

3–चिमनी ईंट भट्ठा लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

4–चिमनी ईंट भट्ठा को छोड़कर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की लाइसेंस की अवधि एक वर्ष की होगी जो कि दिनांक 01 अप्रैल को प्रारम्भ होगी तथा 31 मार्च को समाप्त होगी।

5–फैक्ट्री, कारखाना, मिल मशीनें, प्लाण्ट आदि जो विज्ञप्ति सं0 1882/21–ए–33(99–2000) दिनांक 31 जनवरी, 2005 जो उ0प्र0 राजकीय गजट 26 फरवरी, 2005 में प्रकाशित तथा चिमनी ईंट भट्ठा आदि 1351/21ए–18–(95–96), दिनांक 01 मई, 2002 एवं उ0प्र0 राजकीय गजट 31 अगस्त, 2002 द्वारा प्रकाशित है, में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परिभाषायें एवं उपनियम यथावत् लागू होंगे।

5–मिल/कारखाना/ईंट भट्ठा/फैक्ट्री आदि उपविधियों की लाइसेंस फीस की संशोधित दरों का विवरण प्रचलित दरें –

क्र0सं0	मद/व्यवसाय/कारखाने का नाम	संशोधित लाइसेंस शुल्क
1	2	3
		रु0
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
3	क्रेशर नान हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
4	क्रेशर नान हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्ति चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हस्त चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
10	एक्सपेलर	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00

1	2	3
		रु0
12	खराद मशीन	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लाण्ट	8,000.00
28	स्टील, आयरन आदि से पाईप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई तक)	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाईप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई से अधिक)	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग तक)	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग से अधिक क्षमता तक)	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने कारखाना	5,000.00
34	हाट मिक्स प्लाण्ट	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुयें बनाने का कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुयें बनाना	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00

1	2	3
		रु0
42	कृषि सम्बन्धित यंत्र बनाने का कारखाना	4,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00
46	प्लास्टिक के पाईप, टैंक बनाने का कारखाना	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00
50	सीमेंट बनाने का कारखाना	10,000.00
51	फ्लोर मिल	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00
53	रिईनफोर्स्ड, सीमेंट कंकरीट आदि के ह्यूम पाईप बनाने का कारखाना	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00
58	बिनियर एण्ड शो मिल	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	5,000.00
62	प्लाईबुड या माइका बनाने का कारखाना	10,000.00
63	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00
64	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00
65	लेमिनेशन बनाने का कारखाना	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग बनाने का कारखाना	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
71	बेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00

1	2	3
		रु0
74	स्टील आलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	2,000.00
80	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	7,000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	10,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	1,00,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	4,000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00
99	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5,000.00
100	रांगा बनाने का कारखाना	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5,000.00
102	हड्डी मिल	25,000.00
103	सरेश मिल	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	4,000.00
105	डीजल मिल	5,000.00

1	2	3
		रु0
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2,000.00
108	प्रिटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
109	सिनेमा हाल	4,000.00
110	विडियो, सिनेमा हाल	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
113	रेडिमेड गारमेंट्स बनाने का कारखाना	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	1,00,000.00
116	ट्रान्सफार्मर बनाने की फैक्ट्री	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00
118	एयर कण्डीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00
119	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00
121	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	25,000.00
123	जैविक कारखाना	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
126	स्टोन क्रेशर	15,000.00
127	सूक्ष्म कुटीर उद्योग (लागत 25 लाख तक)	5,000.00
128	लघु उद्योग (लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक)	20,000.00
129	मध्यम उद्योग (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	50,000.00
130	भारी उद्योग (लागत 10 करोड़ से अधिक)	1,00,000.00

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बाराबंकी निर्देश देती है कि उपरोक्त किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद प्रत्येक ऐसे दिवस के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो अंकन रु0 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तीन मास का कारावास का भी दण्ड किया जा सकता है।

एम0 पी0 अग्रवाल,
आयुक्त,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

पी0एस0यू0पी0–27 हिन्दी गजट–भाग 3–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 3 अक्टूबर, 2020 ई० (आश्विन 11, 1942 शक संवत्)

भाग 4

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

24 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 परिषद्-9/281–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि परिषद् द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-9/112, दिनांक 20 जुलाई, 2020 के अनुक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-2021 हेतु वाणिज्य वर्ग में संचालित अनिवार्य विषयों के एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर 30% संक्षिप्त पाठ्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया गया है :

- व्यवसाय अध्ययन
- लेखाशास्त्र

कक्षा-11

वाणिज्य वर्ग

व्यवसाय अध्ययन

कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र-2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन-पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी है–

भाग-1 व्यवसाय के आधार

इकाई-2

(ii) व्यवसायिक सेवायें–

सेवाओं की प्रकृति एवं प्रकार, बैंकिंग-आशय, बैंकों के प्रकार, वाणिज्यक बैंक के कार्य, ई-बैंकिंग बीमा-आधारभूत सिद्धान्त कार्य एवं प्रकार।

सम्प्रेषण सेवायें-डाक सेवा, टेलीकॉम सेवा, परिवहन। भंडारण एवं भंडार गृहों के प्रकार।

इकाई-3

(ii) व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता–

सामाजिक उत्तरदायित्व-अवधारणा, आवश्यकता, पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका।

व्यवसायिक नैतिकता-अवधारणा एवं तत्व।

भाग-2 व्यवसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार–

इकाई-6

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-2–

आयात-निर्यात प्रक्रिया, आयात-निर्यात में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख प्रलेख। विश्व बैंक एवं विश्व बैंक के कार्य तथा इसकी सहयोगी संस्थायें।

उपर्युक्त के अनुक्रम में 70 प्रतिशत का पाठ्यक्रम निम्नवत् है :

कक्षा-11

वाणिज्य वर्ग

	व्यवसाय अध्ययन	100 अंक
भाग-1	व्यवसाय के आधार	भारांश
इकाई-1		
(i)	व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य	18
(ii)	व्यावसायिक संगठन की प्रकृति	
इकाई-2		
(i)	निजी, सार्वजनिक एवं भूमण्डलीय उपक्रम	16
इकाई-3		
(i)	व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ	16
भाग-2	व्यवसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार–	
इकाई-4		
(i)	कम्पनी निर्माण	16
(ii)	व्यावसायिक वित्त के स्रोत	
इकाई-5		
(i)	लघु व्यापार	16
(ii)	आंतरिक व्यापार	
इकाई-6		
(i)	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-1	18
योग . .		**100**

भाग-1 व्यवसाय का आधार

इकाई-1 18 अंक

(i) व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य–

व्यवसाय की अवधारणा, व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषतायें-व्यवसाय पेशा एवं रोजगार में अन्तर, व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण-उद्योग, वाणिज्य, व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियायें, व्यवसाय के उद्देश्य।

(ii) व्यवसायिक संगठन के प्रकृति–

एकल स्वामित्व-आशय, लक्षण, गुण एवं सीमायें।

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय-आशय, लक्षण, गुण एवं सीमायें। साझेदारी-आशय, लक्षण, गुण, सीमायें, प्रकार, संलेख, पंजीकरण तथा साझेदारों के प्रकार।

सहकारी समितियाँ -आशय, लक्षण एवं प्रकार।

संयुक्त पूंजी कम्पनी, आशय, लक्षण, गुण तथा सीमायें, सार्वजनिक एवं निजी कम्पनी।

इकाई-2 16 अंक

(i) निजी, सार्वजनिक एवं भूमण्डलीय उपक्रम–

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र-सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वरूप-विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कम्पनियां।

भूमण्डलीय उपक्रम-विशेषतायें, संयुक्त उपक्रम।

इकाई-3 16 अंक

(i) व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ–

ई-व्यवसाय, ई-व्यवसाय बनाम ई-कॉमर्स, ई-व्यवसाय का कार्य क्षेत्र, ई-व्यवसाय के लाभ एवं सीमायें। ऑनलाइन लेन-देन। ई-व्यवसाय जोखिम। बाह्यस्रोतिकरण (Outsourcing)-संकल्पना/अवधारणा, कार्यक्षेत्र एवं आवश्यकता।

भाग-2 व्यवसायिक संगठन वित्त एवं व्यापार–

इकाई-4 16 अंक

(i) कम्पनी निर्माण–

कम्पनी का प्रवर्तन, समामेलन एवं व्यवसाय का प्रारम्भ, पूंजी अभिदान, प्रमुख प्रलेख-सीमा नियम एवं अंतः नियम।

(ii) व्यवसायिक वित्त के स्रोत–

व्यवसायिक वित्त का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व। कोष के स्रोतों का वर्गीकरण। विशिष्ट वित्तीय संस्थायें, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीयन।

इकाई-5 16 अंक

(i) लघु व्यवसाय–

लघु व्यवसाय का अर्थ तथा प्रकृति, भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका, समस्यायें। सरकार द्वारा प्राप्त लघु व्यवसायिक सहायतायें (संस्थागत सहयोग)।

(ii) आन्तरिक व्यापार–

परिचय, थोक व्यापार एवं थोक विक्रेताओं की सेवायें। फुटकर व्यापार, फुटकर व्यापारियों की सेवायें।

फुटकर व्यापार के प्रकार-भ्रमणशील फुटकर विक्रेता एवं स्थायी दुकानदार (विभागीय भंडार, श्रृंखलाबद्ध भंडार, डाक आदेश गृह, उपभोक्ता सहकारी भंडार, सुपर बाजार, विक्रय मशीन)। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का आंतरिक व्यापार के संवर्धन में भूमिका।

इकाई-6 18 अंक

(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-1–

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, घरेलू व्यवसाय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अन्तर, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के काम।

आयात एवं निर्यात व्यापार-आशय, लाभ, सीमायें।

संयुक्त उपक्रम-लाभ एवं हानियां।

कक्षा-11

वाणिज्य वर्ग

लेखाशास्त्र

कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र-2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन-पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी है–

भाग-1	वित्तीय लेखांकन–
इकाई-3	बैंक समाधान विवरण
5.1	बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता
5.2	बैंक समाधान विवरण का निर्माण
इकाई-4	ह्रास, प्रावधान और संचय
7.1	ह्रास
7.2	ह्रास और इससे मेल खाते शब्द
7.3	ह्रास के कारण
7.4	ह्रास की आवश्यकता
7.5	ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व
7.6	ह्रास की राशि की गणना की पद्धतियाँ
7.7	सीधी रेखा एवं क्रमागत ह्रासविधि तुलनात्मक विश्लेषण
7.8	ह्रास के अभिलेखन की पद्धतियाँ
7.9	परिसम्पत्ति का निपटान/विक्रय
7.10	वर्तमान परिसम्पत्ति में बढ़ोत्तरी एवं विस्तार
7.11	प्रावधान
7.12	संचय
7.13	गुप्त संचय
भाग-2	वित्तीय लेखांकन–
इकाई-5	अपूर्ण अभिलेखों के खाते
11.1	अपूर्ण अभिलेखों का अर्थ
11.2	अपूर्णता के कारण और सीमायें
11.3	लाभ व हानि का निर्धारण
11.4	व्यापार एवं लाभ-हानि खाता तथा तुलन-पत्र तैयार करना
इकाई-7	डाटाबेस प्रबंध पद्धति के प्रयोग द्वारा लेखांकन प्रणाली
15.1	एम0एस0 एक्सेस और उसके घटक
15.2	लेखांकन डाटाबेस के लिए सारणी तथा संबंध को बनाना
15.3	प्रमाणक के प्रपत्र का प्रयोग
15.4	सूचना के लिए पृच्छा का प्रयोग
15.5	लेखांकन प्रतिवेदन को तैयार करना

उपयुर्क्त के अनुक्रम में 70 प्रतिशत का पाठ्यक्रम निम्नवत् है–

कक्षा–11

वाणिज्य वर्ग

लेखाशास्त्र

100 अंक

भाग-1	वित्तीय लेखांकन–	भारांश
इकाई-1		
(i)	लेखांकन एक परिचय	10
(ii)	लेखांकन के सैद्धन्तिक आधार	
इकाई-2		
(i)	लेन-देनों का अभिलेखन-1	10
(ii)	लेन-देनों का अभिलेखन-2	
इकाई-3		
		15
(ii)	तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन	
इकाई-4		
(ii)	विनिमय विपत्र	20
योग		55
भाग-2	वित्तीय लेखांकन–	
इकाई-5		
(i)	वित्तीय विवरण-1	15
(ii)	वित्तीय विवरण-2	
इकाई-6		
(i)	लेखांकन में कम्प्यूटर का अनुप्रयोग	15
(ii)	कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली	
इकाई-7		
(i)	लेखांकन के लिए डाटाबेस की संरचना	15
योग . .		**45**
सम्पूर्ण योग		**55+45=100**

विषय सूची

भाग-1	वित्तीय लेखांकन–	
	आमुख	
इकाई-1	लेखांकन-एक परिचय	**10 अंक**
1.1	लेखांकन का अर्थ	
1.2	लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में	
1.3	लेखांकन के उद्देश्य	
1.4	लेखांकन की भूमिका	
1.5	लेखांकन के आधारभूत परिभाषिक शब्द	
	लेखांकन के सैद्धान्तिक आधार	
2.1	सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्त (GAAP)	
2.2	आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं	
2.3	लेखांकन प्रणालियां	
2.4	लेखांकन के आधार	
2.5	लेखांकन मानक	
इकाई-2	लेन–देनों का अभिलेखन-**1**	10 अंक
3.1	व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख	
3.2	लेखांकन समीकरण	
3.3	नाम व जमा का प्रयोग	
3.4	प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें	
3.5	खाता बही	
3.6	रोजनामचे से खतौनी	
	लेन-देनों का अभिलेखन-2	
4.1	रोकड़ बही	
4.2	क्रय (रोजनामचा) पुस्तक	
4.3	क्रय वापसी (रोजनामचा) पुस्तक	
4.4	विक्रय (रोजनामचा) पुस्तक	
4.5	विक्रय वापसी (रोजनामचा) पुस्तक	
4.6	मुख्य रोजनामचा	
4.7	खातों का संतुलन	
इकाई-3	तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन	15 अंक
6.1	तलपट का अर्थ	
6.2	तलपट बनाने के उद्देश्य	
6.3	तलपट को तैयार करना	
6.4	तलपट के मिलान का महत्व	
6.5	अशुद्धियों को ज्ञात करना	
6.6	अशुद्धियों का संशोधन	

इकाई-4	विनिमय विपत्र	20 अंक
8.1	विनिमय विपत्र की परिभाषा	
8.2	प्रतिज्ञा-पत्र	
8.3	विनिमय विपत्र के लाभ	
8.4	विपत्र की परिपक्वता	
8.5	विपत्र को बट्टागत (भुनाना) करना	
8.6	विनिमय विपत्र का बेचान	
8.7	लेखांकन व्यवहार	
8.8	विनिमय विपत्र का अनादरण	
8.9	विपत्र का नवीनीकरण	
8.10	विनिमय विपत्र का परिपक्वता तिथि से पूर्व भुगतान	
.8.11	प्राप्य विपत्र बही और देय विपत्र पुस्तकें	
8.12	निभाव (सहायतार्थ) विपत्र	
भाग-2	वित्तीय लेखांकन–	
इकाई-5	वित्तीय विवरण-1	15 अंक
9.1	पणधारी और उनकी सूचना आवश्यकतायें	
9.2	पूँजी और आगम के मध्य भेद	
9.3	वित्तीय विवरण	
9.4	व्यापारिक व लाभ और हानि खाता	
9.5	प्रचालन लाभ	
9.6	तुलन-पत्र	
9.7	प्रारम्भिक प्रविष्ट	
	वित्तीय विवरण-2	
10.1	समायोजन की आवश्यकता	
10.2	अन्तिम स्टॉक	
10.3	बकाया व्यय	
10.4	पूर्वदत्त व्यय	
10.5	उपार्जित आय	
10.6	अग्रिम प्राप्त आय	
10.7	ह्रास	
10.8	डूबत ऋण	
10.9	संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	
10.10	देनदारों पर बट्टे का प्रावधान	
10.11	प्रबन्धक कमीशन	
10.12	पूँजी पर ब्याज	
10.13	वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने की विधियाँ	

इकाई-6	लेखांकन में कम्प्यूटर का अनुप्रयोग	15 अंक
12.1	कम्प्यूटर प्रणाली का अर्थ एवं तत्व	
12.2	कम्प्यूटर प्रणाली की क्षमतायें	
12.3	कम्प्यूटर प्रणाली की सीमाएं	
12.4	कम्प्यूटर के अंग	
12.5	कम्प्यूटरीकृत लेखांकन का उद्भव	
12.6	कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषता	
12.7	प्रबन्धन सूचना प्रणाली व लेखांकन सूचना प्रणाली	
	कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली	
13.1	कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की परिकल्पना	
13.2	मानवीय व कम्प्यूटरीकृत लेखांकन के मध्य तुलना	
13.3	कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली से लाभ	
13.4	कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की सीमायें	
13.5	लेखांकन सॉफ्टवेयर के स्रोत	
13.6	लेखांकन सॉफ्टवेयर के स्रोतों, मुख्य दस्तावेज से पहले सामान्य विचार	
इकाई-7	लेखांकन के लिए डाटाबेस की संरचना	15 अंक
14.1	डाटा प्रक्रम चक्र	
14.2	लेखांकन के लिए डाटाबेस का प्रारूप तैयार करना	
14.3	सत्व-सम्बन्ध मॉडल (स0सं0 मॉडल)	
14.4	डाटाबेस तकनीकी	
14.5	लेखांकन डाटाबेस का उदाहरण	
14.6	सम्बन्ध परक डाटा मॉडल की अवधारणा	
14.7	सम्बन्ध परक डाटाबेस और विवरणिका	
14.8	प्रचालन व निषेध का उल्लंघन	
14.9	सम्बन्ध डाटाबेस विवरणिका का प्रारूप	
14.10	उदाहरण वास्तविकता के लिए डाटाबेस की संरचना का उदाहरण	
14.11	डाटाबेस की क्रिया-संक्रिया	

नोट–कामर्स ग्रुप के अन्य विषयों के पाठ्यक्रम पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके हैं।

दिब्यकान्त शुक्ल,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0–27 हिन्दी गजट–भाग 4–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–29 मा0शि0प0–03-10-2020–29,000 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 3 अक्टूबर, 2020 ई० (आश्विन 11, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख — 31 जुलाई, 2020 ई0 / 9 श्रावण, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/108/2017—**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 108-भोगाँव निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री संदीप कुमार अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री संदीप कुमार को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0/108/भा0नि0आ0/नोटिस/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया था : और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री संदीप कुमार को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री संदीप कुमार को दिनांक 30 जून, 2020 को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 21 जुलाई, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री संदीप कुमार द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संदीप कुमार अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।'';

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री संदीप कुमार, निवासी राधारमन रोड, गली नं0–2, कृष्ण कुंज कालोनी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 108-भागाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* *31st July*, 2020 / *Shravana* 9,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/108/2017–WHEREAS, the General Election for 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 04 th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 108-Bhongaon Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Shri Sandeep Kumar, a contesting candidate from 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/108/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Sandeep Kumar, for non submission of any accounts of his election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Sandeep Kumar was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Shri Sandeep Kumar, on 30th June, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 21st July, 2020 that Shri Sandeep Kumar, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed, along with original vouchers *etc*. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Sandeep Kumar has failed to lodge his acccounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Sandeep Kumar, Resident of Radharaman Road, Gali No. 2, Krishna Kunj Colony, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 108-Bhongaon Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0—27 हिन्दी गजट—भाग 7-ख—2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0—12 निर्वाचन—03-10-2020—25 प्रतियां—(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 3 अक्टूबर, 2020 ई० (आश्विन 11, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर (गाजियाबाद)

06 फरवरी, 2020 ई0

सं0 1342/न0पा0परि0खो0म0-सम्पत्ति कर/2019-20–उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 408/नौ-9-19-63 ज/95 टी0सी0, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ, दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0 आ0/04, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2011 के तथा अधि0 सूचना संख्या 2191/नौ-9-19-85 ज/05 टी0सी0-1, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में निकाय की विशेष बोर्ड बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में पारित प्रस्ताव संख्या 02, के द्वारा नगरपालिका बोर्ड की अनुमति के पश्चात्, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार यथा संशोधित करते हुये, सम्पत्ति कर की स्वःकर निर्धारण व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अनुपालन में कार्यालय-पत्र संख्या 906/सम्पत्ति कर/2019-20, दिनांक 08 नवम्बर, 2019 के द्वारा नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर सम्पत्ति कर (स्वःकर) उपविधि, 2018 पर सुझाव/आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 09 नवम्बर, 2019 के दैनिक समाचार-पत्र ''अमर उजाला'' एवं ''दैनिक जागरण'' में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी, जिस पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर, बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्रस्ताव संख्या 02, के द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर की सम्पत्ति कर (स्वःकर) उपविधि, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपविधि

1–संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ–(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर की सम्पत्ति कर (स्वःकर) उपविधि, 2018 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर की सीमाओं के क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्तियों पर प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–इस उपविधि में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) से है।

(ख) ''नगरपालिका परिषद्'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर से है।

(ग) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) ''प्रशासक/अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर के प्रशासक/अध्यक्ष से है।

(ङ) ''प्रशासक/बोर्ड'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर के प्रशासक/निर्वाचित बोर्ड से है।

(च) ''निरीक्षणकर्ता'' का तात्पर्य कर अधीक्षक, कर एवं राजस्व निरीक्षक या अन्य अधिकारी से है, जिसे नगरपालिका परिषद् समय-समय पर अधिकृत करें।

(छ) ''सम्पत्ति'' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(ज) ''पक्का भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन जिसकी दीवार ईंट या पत्थर या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो से है।

(झ) ''आवासीय स्वःनिर्धारण विवरण'' का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस उपविधि से संलग्न प्रपत्र ''क'' व ''ख'' में दाखिल किये जाने वाले स्वःनिर्धारण विवरण से है।

(ञ) ''व्यवसायिक स्वःनिर्धारण विवरण'' का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस उपविधि से संलग्न प्रपत्र ''ग'' व ''घ'' में दाखिल किये जाने वाले स्वःनिर्धारण विवरण से है।

(ट) ''आच्छादित क्षेत्रफल'' का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर जिस पर भवन निर्मित है, के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्र से है।

(ठ) ''कारपेट एरिया'' का तात्पर्य अधिनियम धारा 140 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट कॉरपेट एरिया से है।

(ड) ''वार्षिक मूल्य'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 के अधीन निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है।

(ढ) ''मासिक किराया दर'' का तात्पर्य नियम-5 के अनुसार अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित, यथास्थिति, भवनों या भूमि के कॉरपेट एरिया के प्रति वर्गफुट मासिक किराये से है।

(ण) ''आवासिक भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो और उसमें, ऐसे भवन भी हैं, जिनमें आवासिक उपयोग का प्राविधान हो, किन्तु इसमें सम्मिलित न हो।

(त) ''अनावासीय भवन (व्यावसायिक भवन)'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से हो रहा हो।

(थ) ''भवनो का समूह'' का तात्पर्य नियम-4 के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है।

(द) ''कच्चा भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो पक्का भवन नहीं।

3–भवन या भूखण्ड का कॉरपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण–(1) अधिशासी अधिकारी समाचार-पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर (स्वःकर) निर्धारण के लिये मुख्यतः सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी से इस उपविधि में संलग्न प्रपत्र ''क'', ''ख'' व ''ग'', ''घ'' में विवरण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु नगर के विभिन्न वार्डों के लिये विभिन्न स्थानों पर या फिर नगरपालिका परिषद् कार्यालय को नियत कर, नियत तिथि तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र ''क'', ''ख'' व ''ग'', ''घ'' निःशुल्क वार्डों या कार्यालय में उपलब्ध करायेगा।

(3) जब कभी भवन स्वामी द्वारा स्वःअध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाये या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के 30 दिन के भीतर भवन स्वामी के द्वारा प्रपत्र "ख" व "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) जब किसी भवन में निर्माण या पुनः निर्माण या परिवर्तन या परिवर्द्धन किया जाता है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से 30 दिन के भीतर यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी के लिये प्रपत्र "ख" व "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4–सम्पत्तियों का वर्गीकरण–(1) अधिशासी अधिकारी अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर चार विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात्–

[क] 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग।

[ख] 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग।

[ग] 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग।

[घ] 9 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग।

(2) अधिशासी अधिकारी, अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा–

[क] पक्का भवन आर0सी0सी0 छत या आर0बी0सी0 छत सहित।

[ख] अन्य पक्का भवन।

[ग] कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो कि खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है।

(3) अधिशासी अधिकारी तदानुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये सभी भवनों का बारह विभिन्न समूह के अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भू-खण्डों के मामले में चार विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा–

(क) भवन के मामले में निम्नलिखित बारह समूह होंगे–

(1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0/आर0बी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(2) 12 मीटर से अधिक व 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0/आर0बी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(3) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0/आर0बी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(4) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0/आर0बी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(5) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(6) 12 मीटर से अधिक व 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(7) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(8) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(9) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य कच्चा भवन।

(10) 12 मीटर से अधिक व 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(11) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(12) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि/भूखण्ड के मामले में निम्नलिखित चार समूह होंगे–

(1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि/भूखण्ड।

(2) 12 मीटर से अधिक व 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि/भूखण्ड।

(3) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि/भूखण्ड।

(4) 9 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि/भूखण्ड।

5–न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण–

अधिशासी अधिकारी वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थित भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कॉरपेट एरिया/कवर्ड एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर नियत करेगा, जो प्रत्येक दो वर्ष बाद या नई दरें लागू होने तक संशोधित होता रहेगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन करने वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिये न्यूनतम 15 दिन का समय देगा।

स्पष्टीकरण–कॉरपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये, आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें, कॉरपेट एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी, जिन्हें स्वःकर निर्धारण के लिये माना जायेगा।

6–व्यावसायिक भवनों की दरें अधिनियम की धारा 140 (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में उपरोक्त आवासीय भवनों/भूमि के प्रत्येक समूह की दरों का उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9, संख्या 2191/नौ-9-19-85ज/05 टी0सी0-1, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 (नगरपालिका सम्पत्ति कर नियमावली, 2019) में निर्धारित अनुसूची के अनुसार वर्गीकरण से प्राप्त का 12 गुना मूल्य से होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि व्यावसायिक भवनों के क्षेत्रफल की गणना बाहरी आयाम (कवर्ड एरिया) के आधार पर होगा–

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1	सरकारी अथवा गैर सरकारी छात्रावास, स्वीमिंग पूल, क्रीड़ा केन्द्र तथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु होती हो, जिसमें वैवाहिक समारोहों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, संगीत एवं नृत्यकेन्द्र, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयाँ (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), एकल स्क्रीन सिनेमाघर (जो माल्स में स्थित नहीं है), 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की चाय, दूध, डबलरोटी, अण्डे, धोबी/लाण्ड्री, फल, सब्जी, फोटोस्टेट, नाई/हेयरड्रेसर (जिनमें दो से अधिक बाल काटने की कुर्सियाँ न हो और जिसमें वातानुकूलित/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकान	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान।
2	महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं वृहद् उद्योग (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), मेडिकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित स्पोर्ट काम्पलेक्स, टेन्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेन्टर	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का दो गुना।

1	2	3
3	सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय भवन, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय निगम और बोर्ड आदि, क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, फिजियोथिरैपी केन्द्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज एवं डेन्टल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि संस्थान एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, आडीटोरियम (प्रेक्षागृह), सामुदायिक केन्द्र, स्टार रहित होटल, एक सितारा और उससे ऊपर के होटल, टावर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं, बैंक, बैंक ए0टी0एम0, फाइनेंस कम्पनियां, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, मॉल्स, पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना।
4	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणी में उल्लिखित नहीं हैं	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना।

7–न्यूनतम मासिक किराये की दर का प्रकाशन–

नियम-5 के अधीन आपत्तियों के निस्तारण किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में, यथास्थिति, वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया के प्रति वर्गफुट किराये की न्यूनतम मासिक दर या भूमि/भूखण्ड के प्रत्येक समूह के लिये क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक लागू दर को अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् यह अन्तिम हो जायेगी।

8–कर निर्धारण–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

(1) वार्षिक मूल्य की गणना–वार्षिक मूल्य=कवर्ड एरिया×निर्धारित प्रति ईकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर×12

या

(2) आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत (कॉरपेट एरिया) × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर×12

9–देय कर–

(1) अधिनियम की धारा 140 के अधीन निर्धारित दरों की गणना अनुसार वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत गृहकर तथा 10 प्रतिशत जलकर व 4 प्रतिशत सीवर/ड्रेनेज कर देय होगा जो प्रपत्र 'क' व 'ग' में अंकित कर नियत तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्धारित दण्ड का भागी होगा।

(2) अधिशासी अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत कर निर्धारण पंजिका में दर्ज सम्पत्तियों का नामान्तरण शुल्क निम्नवत् जमा कराने के पश्चात् ही किया जायेगा–

(1) विरासत/उत्तराधिकार/कोर्ट के आदेश, वसीयत तथा विधि सम्मत तरीके से किये गये हिब्बा पर आधारित भवनों का नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00 होगा।

(2) भवनों के पंजीकृत अभिलेख/बैनामें, पंजीकृत दान-पत्र में निम्नलिखित स्लैब के सर्किल रेट पर आधारित सरकारी मूल्य के अनुसार नामान्तरण के आवेदन-पत्र के साथ नामान्तरण शुल्क जमा कराया जायेगा–

[क] 10 लाख मूल्य तक विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00

[ख] 10 लाख से 20 लाख मूल्य तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क रु0 1,500.00

[ग] 20 लाख से ऊपर मूल्य तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क रु0 2,000.00

(3) यदि नियत 9-2(1) एवं (2) के अन्तर्गत नामान्तरण की कार्यवाही हेतु दस्तावेज समयान्तर्गत अर्थात् 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत नही किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता को सम्मन शुल्क/विलम्ब शुल्क के रूप में रु0 1,000.00 अतिरिक्त जमा करने होंगे।

(4) नगरपालिका के सम्पत्ति कर रजिस्टर में दर्ज नाम और आवेदनकर्ता के बीच में अगर कोई बैनामे छूटे हैं, तो आवेदनकर्ता को उनकी नाम परिवर्तन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क भी जमा करनी होगी।

10–वार्षिक मूल्य के निर्धारण में छूट–

(1) अधिनियम में निहित अनुबन्धों के अनुसार करों के निर्धारण के प्रयोजन के लिये वार्षिक मूल्य–

[क] भवन/भूमि के स्वामी या अध्यासी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन जो 10 वर्ष से अधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो 32.5 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा।

[ख] किराये पर दिये गये आवासिक/अनावासिक भवन/भूमि, जो 10 वर्ष से अधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा अैर यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य का 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

11–कर से मुक्त–

(1) अधिनियम की धारा 129 (क) के अन्तर्गत भवन/भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का उद्ग्रहण नगरपालिका परिषद, खोड़ा-मकनपुर की सीमा के स्थिति, निम्नलिखित को छोड़कर, समस्त भवनों/भूमि के सम्बन्ध में किया जायेगा–

[क] मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजन के लिये अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि।

[ख] भवनों/भूमि या उसके भाग, जिसका अधिभोग और उपभोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों अनुसंधान एवं विकास के सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र और उद्यान, सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के खेल के मैदान या क्रीड़ा स्टेडियम के लिये किया जाता हो।

[ग] भवन, जिनका उपयोग अनन्य रूप से विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में किया जाता हो, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों अथवा न हों।

[घ] प्राचीन संस्मारक परिक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हों।

[ङ] भारत संघ में निहित भवन और भूमि, सिवाय वहां के जहां भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खण्ड (2) के उपलब्ध लागू होते हों।

[च] किसी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा आवासीय भवन, जो 30 वर्ग मीटर के माप वाले या 15 वर्ग मीटर तक के कॉरपेट क्षेत्रफल वाले भूखण्ड पर निर्मित हो, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन न हो।

[छ] भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन जो ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जिसे 5 वर्ष के भीतर नगरपालिका परिषद् की सीमा के भीतर सम्मिलित कर लिया गया हो या उस क्षेत्र में सडक, पेयजल और मार्ग प्रकाश की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी हो, इसमें से जो भी पहले हो।

12–कर निर्धारण सूची–

(1) सभी भवनों या भू-खण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची-कर गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी–

[क] भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र ''क'', ''ख'' व ''ग'', ''घ'' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर।

[ख] नियत समय के भीतर प्रपत्र ''क'', ''ख'' व ''ग'', ''घ'' में सूचनायें न देने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी या उसके द्वारा इस नामित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर।

[ग] कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे–

(1) सड़क या मोहल्ले जिसमें सम्पत्ति स्थित हो का नाम।

(2) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि द्वारा जो पहचान के लिये पर्याप्त हो, सम्पत्ति का अभिधान।

(3) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुये कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम।

(4) भवन या भूमि के समूह के लिये कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर।

(5) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल या दोनों।

(6) भवन निर्माण का वर्ष।

(7) भवन निर्माण की प्रकृति।

(2) स्वःकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची–ऐसे सभी आवासिक भवनों की जिनके विषय में प्रपत्र ''क'', ''ख'' व अनावासिक के विषय में प्रपत्र ''ग'', ''घ'' पर समय से स्वःनिर्धारित कर जमा करा दिया गया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा, परन्तु नियम 12 के प्राविधान ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नही पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

13–सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति–

(1) जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग की कर निर्धारण सूची तैयार हो जाये तब अधिशासी अधिकारी उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहां उक्त सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा, नगर में परिचालन वाले दो समाचार-पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायेगा।

(2) भवन के कारपेट एरिया, आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों तथा छूट आदि के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी को सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप में भेजी जायेगी। किराये की मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) अधिशासी अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आपत्तिकर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

14–करों का भुगतान–

अधिशासी अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी या उसके द्वारा इस नामित प्राधिकृत अधिकारी नियम 4, 6, 8 और 9 के अधीन निर्धारित सम्पत्ति कर व जलकर व सीवरकर के भुगतान हेतु भवन के स्वामी या अध्यासी को बिल भेजेगा या नगर में प्रचलित दो दैनिक समाचार-पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें भवन व भूमि के स्वामियों द्वारा 30 सितम्बर तक चालू मांग का सम्पत्ति कर व जलकर व सीवरकर जमा करने पर 10% (10 प्रतिशत)

की छूट दी जायेगी एवं भवन या भूमि के स्वामियों के द्वारा 30 नवम्बर तक चालू मांग का सम्पत्ति कर जमा करने पर 5% (पाँच प्रतिशत) की छूट दी जायेगी।

भवन या भूमि के स्वामियों द्वारा 30 नवम्बर के पश्चात् चालू माँग का सम्पत्ति कर, जलकर, सीवरकर जमा करने पर कोई छूट नहीं दी जायेगी तथा 31 मार्च के पश्चात् देय गृहकर, जलकर व सीवरकर या उसके किसी अंश का भुगतान न किया गया हो, वहां उसके द्वारा देय धनराशि पर जो अंशदत्त (बकाया) रह गयी है, उस पर 12% (12 प्रतिशत) शास्ति/ब्याज देय होगा।

परन्तु यदि सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वकर का निर्धारण किया गया है तो कर का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। बकायादार के विरुद्ध बकाया कर न जमा करने पर वसूलियावी भू-राजस्व की भांति की जायेगी, जिसका भार भवन/भूमि के स्वामी को वहन करना पड़ेगा।

15–कर का स्वःनिर्धारण–

किसी आवासिक/अनावासिक भवन के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिये मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वःकर निर्धारण विवरण के साथ कार्यालय में जमा कर सकता है।

16–शास्ति–

(1) अधिशासी अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी या उसके द्वारा निमित प्राधिकृत अधिकारी यथास्थिति भवन या भूमि के प्रस्तुत कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफलों के विवरण या स्वःकर निर्धारण के विवरणों की कुल संख्या में कम से कम दस प्रतिशत के विवरणों की यदा-कदा जांच करायेगा और भवन के कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भी भाग को छिपाने या दरों आदि का त्रुटिपूर्ण विवरण देने की दशा में यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी का इस आशय का दो सप्ताह का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने को अथवा सम्पादक के त्रुटिपूर्ण विवरण से सम्पत्ति कर की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने के अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जाये।

(2) यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसी आवश्यक समझी जाये करने के पश्चात् अधिशासी अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी या उसके द्वारा नामित प्राधिकृत कोई अधिकारी जो नोटिस के अनुसार देय शास्ति से अधिक न हो अधिरोपित कर सकता है और सम्पत्ति कर की धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) और (3) के अधीन नियत समय के अन्दर अपेक्षित विवरण न प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिशासी अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी या उसके द्वारा इस नामित प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो प्रश्नगत भू-खण्ड के क्षेत्रफल 50 वर्ग मी0 तक, 200 वर्ग मी0, 400 वर्ग मी0 तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः रु0 100.00, रु0 1,000.00, रु0 5,000.00, रु0 25,000.00 हो सकती है परन्तु अध्यक्ष/नगरपालिका अपने विवेकाधिकार का परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करते हुये शास्ति को न्यून कर सकती है, परन्तु 30 दिन की विलम्ब की स्थिति में शास्ति का 05 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा।

नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में नियम 12 के अधीन कर निर्धारण सूची तैयार करते समय नियम 5 के अधीन प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल दर का उपयोग भी शास्ति के अतिरिक्त किया जायेगा।

(4) किसी व्यक्ति द्वारा नियम 3 के उपनियम (4) का उल्लंघन करने की दशा में शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा।

17–शास्ति का प्रशमन–

नियम 16 के उपनियम (1) (3) और (4) के अधीन शास्तियों का प्रशमन अधिशासी अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस नामित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शास्ति की अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनधिक धनराशि पर किया जा सकेगा।

18–नगरपालिका रिकार्ड में दर्ज सम्पत्ति कर अभिलेख की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु रु0 200.00 (रु0 दो सौ मात्र) प्रति वर्ष के आधार पर शुल्क देय होगा।

प्रपत्र "क"

(नियम-7 देखिये)

आवासिक भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर स्व-निर्धारण प्रपत्र

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण–

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम .....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम .....

(तीन) भवन/गृह/भूखण्ड संख्या तथा अवस्थिति का पता : .....

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता .....

(पांच) अन्य विवरण–यदि कोई हो .....

2–भवन या भूमि का विवरण–

क–(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में) .....

(दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में) .....

(तीन) अन्य ब्यौरा–यदि कोई हो .....

ख–(एक) समस्त कमरों और समस्त आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

(दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

(तीन) समस्त गैराजों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

टिप्पणी–स्नानागारों, शौचालयों, पोर्टिकों और सीढ़ी द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल फर्शी क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

ग–भवन का फर्शी क्षेत्रफल=ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन)

अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80% { क (एक) × 80%}

3–अवस्थिति का विवरण–

क–भवन या भूमि अवस्थित है :

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग..... ☐

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग..... ☐

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग..... ☐

(चार) 9 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग..... ☐

ख–भवन निर्माण की प्रकृति :

(एक) आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन..... ☐

(दो) अन्य पक्का भवन ..... ☐

(तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हो। ..... ☐

ग–भूमि (यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो) अवस्थित है–

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग..... ☐

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग..... ☐

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग..... ☐

(चार) 9 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग..... ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4–चाहे भवन स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो ..... ☐

5–भवन निर्माण का वर्ष ..... ☐

6–वार्षिक मूल्य की गणना–

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर (प्रति वर्गफुट)।

(दो) अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर।

(तीन) भवन का वार्षिक मूल्य = 12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर × भवन का फर्शी क्षेत्रफल = 12 × 6 (एक) × ग

(चार) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर × भूमि का क्षेत्रफल = 12 × 6 (दो) × 2 क (दो)

(पाँच) धारा 140 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट के पश्चात् स्वामी द्वारा अध्यासित होने की स्थिति में भवन का वार्षिक मूल्य .....

(छः) धारा 140(2)(ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि के पश्चात् किराये पर होने की स्थिति में भवन का वार्षिक मूल्य .....

7–कर की गणना–

(एक) भवन के वार्षिक मूल्य पर कर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर)}}{100}$ =.....

(दो) भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो =

$\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर)}}{100}$ =.....

(तीन) जल निकासी कर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर)}}{100}$ =.....

8–अधिशासी अधिकारी द्वारा कर जमा करने हेतु निर्धारित नियत दिनांक .....

9–जमा किये गये कर का विवरण–

क्रम सं0	कर	धनराशि	दिनांक	चालान/रसीद संख्या	बैंक का नाम

सत्यापन

मैं..... वार्ड..... के मोहल्ला..... में स्थित भवन संख्या..... भवन यू0आई0डी0..... का स्वामी/अध्यासी एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाए गये हैं और न ही असत्य उल्लिखित हैं।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

पूरा नाम ..... स्थायी पता.....

पिन कोड..... .....

ई-मेल..... दूरभाष/मोबाइल नं0.....

अनुप्रमाणक साक्षी.....

नाम .....

पिता का नाम .....

पूरा पता.....

प्रपत्र-ख

(नियम 3 देखिये)

अनावासीय भवन व भूमि या दोनों के विवरण के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए प्रपत्र

(उनके लिए जिन्होने प्रपत्र-क नहीं प्रस्तुत किया है)

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण–

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(तीन) भवन/गृह/भूखण्ड संख्या और आवासीय पता.....

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता.....

(पांच) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

2–भवन या भूमि का विवरण–

क–(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(तीन) अन्य ब्यौरा, यदि कोई हो.....

ख–(एक) समस्त कमरों और समस्त आच्छादित बरामदों का आंतरिक आयाम (वर्गफुट में).....

(दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....

(तीन) समस्त गैराजों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....

टिप्पणी–स्नानगारों, शौचालयों, पोर्टिको और सीढ़ी द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, फर्शी क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

(ग) भवन का फर्शी क्षेत्रफल = ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन)

अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80% {क (एक) × 80%}

3–अवस्थिति का विवरण–

(क) भवन या भूमि अवस्थित है–

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(चार) 9 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(ख) भवन निर्माण की प्रकृति–

(एक) आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन ☐

(दो) अन्य पक्का भवन ☐

(तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हो। ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों पर सही (✓) का निशान लगायें।

4–चाहे भवन स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो.....

5–भवन निर्माण का वर्ष.....

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मोहल्ला.....में स्थित भवन/भूमि संख्या.....भवन/भूमि/यू0आई0डी0.....का स्वामी/अध्यासी एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि

इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य उल्लिखित है।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

पूरा नाम..... स्थायी पता.....

पिन कोड..... .....

ई-मेल..... दूरभाष / मोबाईल नं0.....

अनुप्रमाणक साक्षी.....

नाम.....

पिता का नाम.....

पूरा पता.....

प्रपत्र 'ग'

(नियम-7 देखिये)

अनावासिक भवन या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का स्व-निर्धारण प्रपत्र

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण–

(एक) स्वामी / अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी / अध्यासी के पिता / पति का नाम.....

(तीन) भवन / गृह / भूखण्ड संख्या और अवस्थिति पता.....

(चार) भवन / गृह / भूखण्ड, स्वामी / अध्यासी का आवासीय पता.....

(पांच) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

2–भवन या भूमि का विवरण–

(एक) भवनों का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(तीन) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

3–अवस्थिति का विवरण–

क–भवन या भूमि अवस्थित है :

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(चार) 9 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

ख–भवन निर्माण की प्रकृति :

(एक) आर0सी0सी0 छत या आर0बी0सी0 छत सहित पक्का भवन..... ☐

(दो) अन्य पक्का भवन..... ☐

(तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हो..... ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4–भवन निर्माण का वर्ष.....

5–पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

6–वार्षिक मूल्य की गणना–

(क) भवन का वार्षिक मूल्य–

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भवन के निर्धारित मासिक किराया दर.....

(दो) आवासिक भवन की दर से सम्बन्धित गुणांक.....

(तीन) भवन हेतु प्राप्त मासिक किराया दर (एक) × (दो).....

(चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल .....

(पांच) भवन का वार्षिक मूल्य– मासिक किराया दर × आच्छादित क्षेत्रफल 12 (तीन × चार × 12)

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य–

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भूमि के निर्धारित मासिक किराया दर.....

(दो) नियमावली में विहित आवासिय भूमि का दर से सम्बन्धित गुणांक.....

(तीन) भूमि के प्राप्त मासिक किराया दर (एक) × (दो).....

(चार) भूमि का क्षेत्रफल.....

(पांच) भवन का वार्षिक मूल्य– मासिक किराया दर × आच्छादित क्षेत्रफल × 12 (तीन × चार × 12)

(ग) कुल वार्षिक मूल्य– (क) (पांच) (ख) (पांच)

7–कर की गणना–

(एक) भवन के वार्षिक मूल्य पर कर– $\frac{\text{(यथा निर्धारण मूल्य} \times \text{कर की दर)}}{100} =$

(दो) जलकर– $\frac{\text{(यथा निर्धारण मूल्य} \times \text{कर की दर)}}{100} =$

(तीन) जल निकास कर– $\frac{\text{(यथा निर्धारण मूल्य} \times \text{कर की दर)}}{100} =$

8–अधिशासी अधिकारी द्वारा कर जमा करने के लिए नियत दिनांक.....

9–जमा किये गये कर का विवरण–

क्रम सं0	कर का नाम	कर की धनराशि	चालान/रसीद संख्या	दिनांक	बैंक/ कार्यालय

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मोहल्ला.....में स्थित भवन/भूमि संख्या.....भवन/भूमि/यू0 आई0 डी0.....का स्वामी/अध्यासी एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य उल्लिखित हैं।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

पूरा नाम..... स्थायी पता.....

पिन कोड..... .....

ई-मेल..... दूरभाष/ मोबाईल नं0.....

अनुप्रमाणक साक्षी.....

नाम.....

पिता का नाम.....

पूरा पता.....

.....

प्रपत्र-घ

(नियम-3 देखिये)

अनवासीय भवन के भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए प्रपत्र

(उनके लिए जिन्होंने प्रपत्र-ग नहीं प्रस्तुत किया है)

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण–

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(तीन) भवन/भूखण्ड की संख्या और अवस्थिति का पता.....

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता.....

(पांच) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

2–भवन या भूमि का विवरण–

(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(तीन) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

3–अवस्थिति का विवरण–

(क) भवन या भूमि अवस्थित है–

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(चार) 9 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

ख–भवन निर्माण की प्रकृति :

(एक) आर0सी0सी0 छत या आर0बी0सी0 छत सहित पक्का भवन ☐

(दो) अन्य पक्का भवन ☐

(तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हों। ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में (✓) का निशान लगायें।

4–भवन के निर्माण का वर्ष.....

5–पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मोहल्ला.....में स्थित भवन/भूमि संख्या..... भवन/भूमि/यू0 आई0 डी0.....का स्वामी/अध्यासी एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य उल्लिखित है।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

पूरा नाम..... स्थायी पता.....

पिन कोड..... .....

ई-मेल..... दूरभाष/ मोबाईल नं0.....

अनुप्रमाणक साक्षी.....

नाम.....

पिता का नाम.....

पूरा पता.....

रीना देवी,
अध्यक्ष,
न0पा0परि0, खोड़ा-मकनपुर,
गाजियाबाद।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर (गाजियाबाद)

06 फरवरी, 2020 ई0

सं0 1341/न0पा0परि0खो0म0-लाईसेन्स शुल्क/2019-20–उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 161-सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 16 नवम्बर, 1997 के अनुपालन में निकाय की विशेष बोर्ड बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में पारित प्रस्ताव संख्या 04 के द्वारा नगरपालिका बोर्ड की अनुमति के पश्चात्, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार यथा संशोधित करते हुये, वर्णित मदों पर लाईसेन्स शुल्क निर्धारण की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 908/न0पा0परि0खो0म0-लाईसेन्स शुल्क/2019-20, दिनांक 08 नवम्बर, 2019 के द्वारा नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर में वर्णित मदों पर लाईसेन्स शुल्क उपविधि, 2020 पर सुझाव/आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 09 नवम्बर, 2019 को दैनिक समाचार-पत्र ''पंजाब केसरी'' एवं ''आज का मुद्दा'' में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी, जिस पर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्रस्ताव संख्या 04 के द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर में वर्णित मदों पर लाईसेन्स शुल्क उपविधि, 2020 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपविधि

1–संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद की सीमान्तर्गत वर्णित मदों के लाईसेन्स शुल्क के नियमन एवं नियन्त्रण हेतु उपविधि, 2020 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद की सीमाओं के क्षेत्रान्तर्गत व्यावसायिक दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी मानी जायेगी।

2–परिभाषायें–

(1) जब तक कि, विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

[क] 'अधिनियम' से तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 2 सन् 1916) से है।

[ख] 'नगर पालिका परिषद्' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर से है।

[ग] 'अधिशासी अधिकारी' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

[घ] 'प्रशासक/अध्यक्ष' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर के प्रशासक/अध्यक्ष से है।

[ङ] 'प्रशासक/बोर्ड' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर के प्रशासक/निर्वाचित बोर्ड से है।

[च] 'निरीक्षणकर्ता' का तात्पर्य, कर अधीक्षक, कर एवं राजस्व निरीक्षक या अन्य अधिकारी से है, जिसे नगरपालिका परिषद्, समय-समय पर अधिकृत करें।

[छ] 'शुल्क' का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद द्वारा वर्णित मदों पर लगाये गये लाईसेन्स शुल्क से है।

3–अनुज्ञप्ति-पत्र की अवधि, प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च अथवा उसके भाग पर लागू होगी। नियमावली में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद सीमान्तर्गत क्षेत्र में व्यापार करते हुये, वार्षिक शुल्क के रूप में देय होगा।

4–(अ) व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व अनुज्ञप्ति-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर एवं शुल्क जमा कराकर नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद कार्यालय से लेना अनिवार्य होगा, जिसे व्यावसायिक स्थल पर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य होगा। यदि कोई शुल्कदाता अपना व्यापार बन्द करता है तो उसकी लिखित सूचना 30 दिन के अन्दर कार्यालय में देना अनिवार्य होगा ताकि परीक्षण के उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क से व्यापारी को मुक्त किया जा सके।

5–शुल्कदाता को निम्न शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित अवधि तक अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क भी देय होगा। बकायेदार के विरुद्ध निर्धारित शुल्क की वसूलीयाबी भू-राजस्व की भांति की जायेगी, जिसका भार शुल्कदाता को वहन करना पड़ेगा।

6–अनुज्ञप्ति-पत्र अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

7–किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र गाजियबाद ही मान्य होगा।

1–नगर की सीमा के अन्तर्गत संचालित होटल, लाजिंग तथा गेस्ट हाउस, 3 सितारा होटल, 5 सितारा होटल, मैरिज होम/बारात घर, बैंकट हॉल, रेस्टोरेन्ट, जलपान गृह, ढाबा, चाय की दुकान, शीतल पेय स्टॉल के नियमन एवं नियन्त्रण हेतु :

परिभाषायें–

[क] 'रेस्टोरेन्ट' का तात्पर्य, जहां ग्राहकों को भोजन तो नहीं परोसा जाता है परन्तु चाय, कॉफी, ठण्डा आदि पेय पदार्थ के साथ-साथ वह सभी खाद्य पदार्थ परोसे जाते है, जो भोजन की श्रेणी में नहीं आते है तथा रेस्टोरेन्ट में ग्राहकों को बैठने की जगह भी दी जाती है।

[ख] 'भोजनालय' का तात्पर्य होटल, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट की दुकान, ढाबा, टी स्टॉल, कहवे की दुकान, लन्चनेट, सराय, सोडा फाउन्टेन, आइस्क्रीम पार्लर, ठण्डे अथवा गर्म पेयपदार्थ तथा अन्य कोई खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो।

[ग] 'कर्मचारी' का तात्पर्य एक या अनेक ऐसे व्यक्तियों से है, जो खाद्य पदार्थ या पेयपदार्थ को सम्भालता हो तथा उन प्रतिष्ठान में नियोजित हो, जहां भोजन अथवा पेयपदार्थ बनता अथवा परोसा जाता हो।

[घ] 'खाद्य पदार्थ' का तात्पर्य मनुष्य के खाने पीने के समस्त पदार्थों से है, जिसमें भोजन, नाश्ता, चाय, कॉफी, शीतल अथवा गर्म पेयजल पदार्थ इत्यादि सम्मिलित है।

[ङ] 'अनुज्ञप्ति ग्रहीता' का तात्पर्य उस व्यक्ति, फर्म, निगम अथवा एसोसिएशन से है, जिसे अधिष्ठान चलाने की अनुज्ञप्ति प्राप्त हो।

होटल आदि के संचालन की शर्तें

1–कोई भी सीमान्तर्गत क्षेत्र में भोजनालय, जलपान गृह, टी-स्टॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा, आइस्क्रीम पार्लर आदि उस समय तक नहीं चलायेगा, जब तक कि वह इसके लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर लें और इन उपविधियों के प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्ण रूप से न कर लें।

2–कोई भी अनुज्ञप्ति ग्रहीता किसी फैक्ट्री, कारखाना, मील (जहां किसी प्रकार की गैस अथवा धुंआ उठता हो) गौशाला, अस्पताल, शौचालय, खुले नाले अथवा सार्वजनिक कूड़ाघर से 25 मीटर की दूरी के अन्दर भोजनालय अथवा जलपान गृह, टी-स्टॉल आदि स्थापित न करेगा।

3–सड़क की पटरी अथवा नाले के उपर किसी प्रकार के भोजनालय को स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण चालू रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी, किसी अतिकृमित भवन पर कोई भोजनालय स्थापित न करने दिया जायेगा।

4–भोजनालय, जलपान गृह, टी-स्टॉल आदि से शौचालय, मूत्रालय इतनी अधिक दूरी पर बनाये जायेंगे की खाद्य पदार्थ, जलपान गृह, टी-स्टॉलों आदि रसोई घर जलपान एवं पेय पदार्थ तैयार करने के स्थान अथवा कक्ष तथा ग्राहकों के बैठने के भोजन तथा जलपान करने तथा पेय सेवन करने के स्थान एवं कक्ष शौचालय व मूत्रालय की दुर्गन्ध न पहुंच सकें। शौचालय एवं मूत्रालय विकास प्राधिकरण तथा नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद की संस्तुति एवं पूर्व स्वीकृति के अनुसार निर्मित किये जायेंगे।

5–भोजनालय, जलपान गृह, टी-स्टॉल ढाबा आदि के गन्दे पानी की निकासी हेतु नियमानुसार विकास प्राधिकरण, नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद की संस्तुति के अनुसार भूमिगत नालियां बनायी जायेंगी तथा भूमिगत पाईप डाले जायेंगे। शौचालय व मूत्रालय के पानी के निकासी हेतु कोई भी नाली अथवा पाईप, रसोईघर, जलपान गृह एवं पेय तैयार करने के स्थान एवं कक्ष तथा आवास कक्षों के नीचे से नहीं निकाली जायेगी।

6–भोजनालय, होटल, जलपान गृह या रसोईघर तथा चाय बनाने आदि की भट्टी, ग्राहकों को बैठने एवं भोजन, जलपान करने तथा चाय आदि पीने के स्थान एवं कक्षा में नहीं बनायी जायेगी और उसके लिये पृथक स्थान एवं कक्षा में जिसमें वायु एवं प्रकाश का उचित प्रबन्ध हो तथा भट्टी एवं रसोईघर का धुंआ बाहर खुले में निकल सके,

जिसके लिये बिल्डिंग की ऊंचाई पर चिमनी लगानी अनिवार्य होगी तथा व्यवसाय स्थल पर अग्निशमन नियमों के अन्तर्गत उचित व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी।

7–भोजनालय एवं जलपान गृह आदि की फर्श, दीवार तथा छते पक्की करायी जायेगी तथा भवन पर वर्ष में कम से कम दो बार सफेदी करायी जायेगी।

8–भोजनालय, होटल, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कहवे की दुकान, टी-स्टॉल, लन्चनेट, सराय, सोडा फाउन्टेन, आइस्क्रीम पार्लर, ठण्डे अथवा गर्म पेयपदार्थ ढाबा अथवा अन्य कोई परिसर, जहां खाद्य पदार्थों के बिकने की व्यवस्था हो, ग्राहकों के बैठने एवं ग्राहकों के भोजन करने, जलपान करने तथा पेय पीने के समस्त स्थान को साफ सुथरा, हवादार, मक्खी, कीटाणु एवं दुर्गन्ध रहित होना चाहिये।

9–समस्त कॉच, चीनी मिट्टी के बर्तन (कप, प्लेट आदि) एवं समस्त खाना बनाने तथा परोसने के बर्तन चाहे वह पीतल, स्टील के हो अथवा अन्य किसी धातु प्रयोग करने से पूर्व हर बार अच्छी तरह साफ किये जायेंगे तथा पोटैशियन परमैगनेट मिश्रित जल से धुले जायेंगे।

10–भोजनालय, जलपान गृह एवं टी-स्टॉल, आदि में कोई भी जानवर नहीं रखा जा सकेगा।

11–कोई भी अनुज्ञप्ति गृहीता अथवा कर्मचारी न तो किसी निषेध द्रव्य का प्रयोग करेगा और न ही अपने भोजनालय में किसी ग्राहक को ऐसा करने देगा। किसी भी प्रकार की मद्यपान तथा दवायें जिनमें एल्कोहल अधिक हो, प्रयोग अथवा सेवन नहीं की जायेगी और न किसी ग्राहक को ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी। खाने-पीने की चीजों में किसी ऐसी चीज का प्रयोग नहीं किया जायेगा जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो।

12–कोई भी व्यक्ति जो छूत की बीमारी से ग्रसित हो भोजनालय में प्रबंधक अथवा कर्मचारी नहीं रखा जायेगा और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को भोजनालय में आने जाने एवं ठहरने दिया जायेगा, जो किसी छूत की बीमारी से ग्रसित हो। अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर प्रत्येक भोजनालय आदि के अनुज्ञप्ति गृहिता के अपनी व्यय से अपने तथा अपने किसी भी कर्मचारी की स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी और यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि वह स्वयं अथवा उसका कोई कर्मचारी किसी भी छूत की बीमारी से ग्रसित नहीं हो। प्रमाण-पत्र किसी राजकीय अस्तपाल के या नगर पालिका के डाक्टर का ही मान्य होगा।

13–अधिशासी अधिकारी/प्रशासक एवं उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के निरीक्षण करने पर भोजनालय, होटल, जलपान गृह, टी-स्टॉल आदि खोल दिया जायेगा और इन उपविधियों के अधीन रखे गये रजिस्टर आदि उनके सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे तथा निरीक्षण में सहयोग दिया जायेगा। निरीक्षण में पयी गयी आपत्तियों का निरीक्षणकर्ता द्वारा दी गयी अवधि में निवारण किया जायेगा और निरीक्षणकर्ता द्वारा दिये गये निर्देशों का तुरन्त पालन अनुज्ञप्ति गृहीता द्वारा किया जायेगा।

14–खाद्य पदार्थ बनाने, जलपान तैयार करने, चाय आदि बनाने तथा ग्राहकों को पानी पिलाने के लिये जो पानी इस्तेमाल किया जायेगा। वह जलकल विभाग के पाईप द्वारा प्राप्त किया जायेगा जिसकी स्वीकृति अधिशासी अधिकारी ने दी हो। किसी नलकूपों के जल प्रयोग की स्वीकृति तभी दी जा सकेगी जब कि जल का विश्लेषण जल-संस्थान या राजकीय प्रयोगशाला में हो गया हो। वह पानी सदैव साफ बर्तनों में अथवा टंकियों में रखा जायेगा।

15–होटल, भोजनालय, जलपान गृह एवं टी-स्टॉल आदि में हर समय सफाई रखी जायेगी। सूखा कूड़ा एक कूड़ेदान में अलग से एकत्रित किया जायेगा तथा गीला कूड़ा अलग कूड़ेदान में एकत्रित किया जायेगा।

16–भोजनालय, जलपान गृह एवं टी-स्टॉल आदि में एक शिकायत पुस्तिका अनुज्ञप्ति गृहीता रखेगा, जो किसी भी ग्राहक के मांगने पर तुरन्त प्रस्तुत की जायेगी जिसमें कि ग्राहक अपनी शिकायतों को अंकित कर सके। अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी भी कर्मचारी के मांगने पर शिकायत पुस्तिका तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

17–अनुज्ञप्ति गृहीता को अपने यहां रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा जिसमें वह अपने यहां के समस्त कर्मचारियों के स्थानीय तथा स्थायी पते अंकित करेगा अनुग्रहित अनुज्ञप्ति गृहीता यह भली-भांति सुनिश्चित करा दें कि उसने जो कर्मचारी अपने यहां रखे है, उनमें कोई भी कर्मचारी असभ्य एवं संदिग्ध चरित्र का तो नहीं है।

18–प्रत्येक भोजनालय, होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें रात्री में ठहरने वाले व्यक्तियों का नाम तथा पता अंकित किया जायेगा तथा एक सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान-पत्र भी लिया जायेगा, अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के मांगने पर यह रजिस्टर प्रस्तुत करना होगा।

19–प्रत्येक अनुज्ञप्ति गृहीता अपने भोजनालय में जैसा कि नियम (ख) में यथा परिभाषित है कि किसी प्रमुख स्थान पर सूचनापट्ट हिन्दी देवनागरी लिपि में इस आश्रय का लगायेगा कि ग्राहकों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थ शुद्ध अथवा वेजीटेबिल ऑयल से निर्मित है तथा उसी सूचनापट्ट में सभी वस्तुओं के भाव एवं कमरों का किराया भी अंकित होगा।

20–जो भोजनालय, जलपान गृह, टी-स्टॉल आदि शुद्ध घी का प्रयोग करेंगे, उनको वेजीटेबिल ऑयल प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

21–प्रत्येक अनुज्ञप्ति गृहीता अपने भोजनालय एवं जलपान गृह एवं टी-स्टॉल आदि में किसी प्रकार का शोरगुल अथवा आवाज कभी न होने देगा।

22–खाद्य पदार्थ में प्रयुक्त समस्त पदार्थ प्रमाणित स्तर के होंगे तथा इनमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होगी।

23–अनुज्ञप्ति अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान के नाम से परिवर्तित अथवा स्थानान्तरित नहीं की जायेगी।

24–अनुज्ञप्ति-पत्र अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा स्वीकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

25–इन उपविधियों का उल्लंघन करने पर अधिशासी अधिकारी/प्रशासक या इनके द्वारा किये गये निर्देशों का पालन न करने पर अनुज्ञप्ति अधिकारी किसी भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित/रद्द कर सकता है, अथवा दण्डित करने हेतु सक्षम न्यायालय में नियमों के अन्तर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

26–अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित अथवा इस उपविधि से सम्बन्धित किसी आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से 10 दिन में प्रतिवेदन निर्गम में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसमें पालिका का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

27–होटल, मैरिज होम/बारात घर, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेन्ट, जलपान गृह, ढाबा, चाय की दुकान, शीतल पेय स्टाल आदि के संचालकों को प्रतिवर्ष नगरपालिका परिषद् को नियमानुसार अनुज्ञप्ति शुल्क देना होगा। अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने की तिथि 01 अप्रैल से 30 जून होगी। जुलाई से 10% प्रतिमाह विलम्ब शुल्क अतिरिक्त रूप से भुगतान करना पड़ेगा।

28–रिहायसी भवनों/भूखंडों का प्रयोग बिना नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद की अनुमति के होटल लाजिंग, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेन्ट, जलपान गृह, चाय की दुकान, ढाबा, शीतल पेय स्टाल, मैरिज होम, बैंकेट हॉल आदि के लिये नहीं किया जा सकेगा।

29–लाइसेन्स बनवाने की समयावधि व विलम्ब शुल्क नवीनीकरण लाइसेन्स पर होगा।

30–शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

लाइसेन्स शुल्क की वार्षिक दरें

क्र0 सं0	नाम लाइसेन्स	लाइसेन्स/नवीनी करण शुल्क प्रतिवर्ष	विलम्ब शुल्क प्रतिमाह	नवीनीकरण लाइसेन्स की अवधि
1	2	3	4	5
		रु0		
1	होटल, लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक	1,000.00	10%	01 अप्रैल से 30 जून
2	10 शैय्या से अधिक प्रति शैय्या पर उपरोक्त के अतिरिक्त	50.00	10%	तदेव
3	3 सितारा होटल	9,000.00	10%	तदेव
4	5 सितारा होटल	12,000.00	10%	तदेव

1	2	3	4	5
		रु0		
5	मैरिज होम/बारात घर	1,000.00	10%	तदेव
6	बैंकेट हाल	1,000.00	10%	तदेव
7	रेस्टोरेन्ट	1,000.00	10%	तदेव
8	जलपान गृह	500.00	10%	तदेव
9	ढाबा	250.00	10%	तदेव
10	चाय की दुकान	100.00	10%	तदेव
11	शीतल पेय स्टॉल	100.00	10%	तदेव

2–नगर की सीमा के अन्तर्गत संचालित घोड़ा रेहड़ी, घोड़ा बग्गी, घोड़ा तांगा चालक, घोड़ा रेहड़ी चालक, घोड़ा बग्गी चालक, ठेला/ठेली, हाथ ठेला, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ट्रॉली के नियमन एवं नियन्त्रण हेतु–

परिभाषाएं–

[क] 'हाथ ठेला' का तात्पर्य, ऐसे परिवहन उपकरणों से है, जो मनुष्य द्वारा धकेल कर, चलाया जाता है तथा किराये पर सामान ढोने के लिये प्रयोग होता है।

[ख] 'बैलगाड़ी/भैंसागाड़ी' का तात्पर्य, ऐसे वाहन से है, जो बैल अथवा भैंसे द्वारा खींची जाती है तथा किराये पर सामान ढोने के लिये प्रयोग की जाती है।

[ग] 'ठेला/ठेली' का तात्पर्य, ऐसे परिवहन उपकरणों से है, जो एक बैल या दो बैलों के द्वारा चलाया जाता है तथा किराये पर सामान ढोने के लिये प्रयोग होता है।

[घ] 'घोड़ा तांगा/घोड़ा रेहड़ी/घोड़ा बग्गी' का तात्पर्य, ऐसे वाहन से है, जो घोड़ा द्वारा खींची जाती हो तथा सवारी किराये पर लाने, ले जाने के लिये तथा सामान ढोने के लिये प्रयोग में लायी जाती हो।

[ङ] 'घोड़ा तांगा/घोड़ा रेहड़ी/घोड़ा बग्गी चालक' का तात्पर्य, उस व्यक्ति से है, जो 'घोड़ा तांगा/घोड़ा रेहड़ी/घोड़ा बग्गी को चलाता है।

[च] 'ट्रॉली' का तात्पर्य, ऐसे वाहन से है, जो ट्रैक्टर या अन्य स्वचालित यन्त्र द्वारा चलायी जाती हो तथा व्यापारिक कार्यों हेतु प्रयोग की जाती हो।

शर्तें

1–पशु ठेलों पर एक समय में एक पशु पर 8 क्विन्टल, दो या अधिक पशुओं पर 16 क्विन्टल से अधिक सामान ढोने के लिये प्रयोग नहीं करेगा।

2–बैलगाड़ी/भैंसागाड़ी में 8 क्विन्टल से अधिक सामान ढोने के लिये प्रयोग नहीं करेगा।

3–ट्रॉली पर एक समय में 40 क्विन्टल से अधिक सामान ढोने का प्रयोग नहीं करेगा।

4–हाथ ठेला पर एक समय में 6 क्विन्टल से अधिक सामान ढोने का प्रयोग नहीं करेगा।

5–घोड़ा रेहड़ी पर एक समय में चार सवारी व प्रत्येक सवारी के साथ 20 किलोग्राम से अधिक सामान ढोने का प्रयोग नहीं करेगा।

6–घोड़ा तांगा एक समय में चार सवारी व प्रत्येक सवारी के साथ 20 किलोग्राम से अधिक सामान ढोने का प्रयोग नहीं करेगा।

7–घोड़ा तांगा/घोड़ा रेहड़ी/घोड़ा बग्गी व इनके चालक, ठेला/ठेलों, हाथ ठेला, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ट्रॉली का लाइसेन्स, लाइसेन्सिंग विभाग, नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद कार्यालय से प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक बनवाना अनिवार्य होगा। 31 जुलाई के बाद लाइसेन्स बनवाने पर लाइसेन्स फीस के अतिरिक्त नीचे लिखा विलम्ब शुल्क देना होगा।

8–लाइसेन्स बनवाने की समयावधि व विलम्ब शुल्क नवीनीकरण लाइसेन्स पर होगा।

9–स्वीकृत किये हुये अथवा नवीनीकृत किये हुये लाइसेन्सों के साथ लाइसेन्स अधिकारी घोड़ा रेहड़ी, घोड़ा बग्गी, घोड़ा तांगा, ठेला/ठेली, हाथ ठेला, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ट्रॉली स्वामी को एक टीन की प्लेट देगा, जिस पर परिवहन का लाइसेन्स नम्बर होगा। प्लेट की कीमत लाइसेन्सदार को ही देनी होगी।

10–घोड़ा तांगा/घोड़ा रेहड़ी/घोड़ा बग्गी चालक अपना वाहन चलाते समय अपनी छाती की पाकेट पर नेम प्लेट व नगरपालिका द्वारा दिया गया बिल्ला (बैच) लगाकर प्रदर्शित करेगा, जिसकी कीमत लाइसेन्सदार को देनी होगी।

11–शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

लाइसेन्स शुल्क की वार्षिक दरें

क्र0 सं0	नाम लाइसेन्स	लाइसेन्स/नवीनी करण शुल्क प्रतिवर्ष	विलम्ब शुल्क प्रतिमाह	नवीनीकरण लाइसेन्स की अवधि
1	2	3	4	5
		रु0		
1	घोड़ा तांगा/घोड़ा रेहड़ी	50.00	10.00	01 अप्रैल से 31 जुलाई
2	घोड़ा बग्गी	200.00	10.00	तदेव
3	घोड़ा तांगा/घोड़ा रेहड़ी चालक	5.00	-	तदेव
4	घोड़ा बग्गी चालक	25.00	10.00	तदेव
5	ठेला/ठेली	50.00	10.00	तदेव
6	हाथ ठेला	25.00	10.00	तदेव
7	बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी	25.00	10.00	तदेव
8	ट्रैक्टर-ट्रॉली	150.00	15.00	तदेव

2–नगर की सीमा के अन्तर्गत संचालित रिक्शा व रिक्शा चालकों के नियमन एवं नियन्त्रण हेतु–

परिभाषाएं–

[क] 'रिक्शा' का तात्पर्य, दो पहियों वाली गाड़ी अथवा त्रिचक्रीय विशेष प्रकार की साईकिल से है, जो मनुष्य द्वारा खींची या चलाई जाती है।

[ख] 'चालक' का तात्पर्य, उस व्यक्ति से है, जो रिक्शा चलाता हो अथवा खींचता हो।

रिक्शा लाइसेन्स की शर्ते

1–रिक्शा सुदृढ़ प्रकार का निर्मित होना, काफी मजबूत होना और पूर्ण अच्छी दशा में होना, रिक्शा के तीनों पहियों पर मेडगार्ड तथा टॉप पर बरसात व धूप से बचने के लिए कपड़ा होना अनिवार्य होगा। पिछले भाग पर रोशनी हेतु रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है।

2–रिक्शे की बॉडी की माप 32 इन्च होने पर ही लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।

3–स्वीकृत किये हुए अथवा नवीनीकृत किये हुए लाइसेन्सों के साथ लाइसेन्सिंग अधिकारी रिक्शा स्वामी को एक टीन की प्लेट देगा जिस पर रिक्शा का लाइसेन्स नम्बर होगा। प्लेट की कीमत लाइसेन्सदार को ही देनी होगी।

4–रिक्शा स्वामियों के रिक्शाओं के लाइसेन्स जो रिक्शा 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं, नवीनीकृत नहीं किये जायेंगे।

5–रिक्शा स्वामी अपने परिवार के एक व्यक्ति के नाम से 5 से अधिक लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

6–रिक्शा स्वामी नगर पालिका से निर्गत चालक के लाइसेन्स देखने के उपरान्त ही रिक्शा किराये पर चलाने के लिए दे सकेंगे।

7–रिक्शा चालक यदि अपने नाम से एक ही रिक्शे का लाइसेन्स लेना चाहता है, उसे रिक्शे के लाइसेन्स के साथ-साथ रिक्शा चलाने का लाइसेन्स भी बनवाना अनिवार्य होगा।

8–रिक्शे का लाइसेन्स, नगर पालिका परिषद, खेड़ा–मकनपुर, गाजियाबाद से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 जून तक बनवाना होगा। 30 जून के बाद लाइसेन्स बनवाने पर लाइसेन्स फीस के अतिरिक्त रु0 20.00 विलम्ब शुल्क देना होगा।

9–लाइसेन्स बनवाने की व विलम्ब शुल्क नवीनीकरण लाइसेन्स पर होगा।

10–शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

लाइसेन्स शुल्क की वार्षिक दरें

क्र0सं0	नाम लाइसेन्स	लाइसेन्स नवीनीकरण शुल्क (वार्षिक)	विलम्ब शुल्क	नवीनीकरण लाइसेन्स की अवधि
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	
1	रिक्शा किराये पर	100.00	20.00	1 अप्रैल से 30 जून तक
2	रिक्शा (निजी चलित)	60.00	20.00	तदेव

रिक्शा चालकों के लिए शर्तें

1–रिक्शा चालक की आयु 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो।

2–रिक्शा चालक की उंचाई 5 फुट 3 इंच से कम न हो।

3–रिक्शा चालक का लाइसेन्स स्वास्थ्य अधिकारी के स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के के उपरान्त ही निर्गत किया जायेगा।

4–रिक्शा चालकों को लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र के साथ 3 फोटो देना आवश्यक है।

5–एक समय में रिक्शा चालक अपने रिक्शे में 2 सवारी, 50 किलो वजन सहित ले जा सकता है।

6–रिक्शा चालक, रिक्शा चलाते समय अपने छाती की पाकेट पर नेम प्लेट व नगर पालिका द्वारा दिया गया बिल्ला (बैच) लगाकर प्रदर्शित करेगा, जिसकी कीमत लाइसेन्सदार को देना होगी।

7–शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

लाइसेन्स शुल्क की वार्षिक दरें

क्र0सं0	नाम लाइसेन्स	लाइसेन्स नवीनीकरण शुल्क
1	2	3
		रु0
1	रिक्शा चालक	50.00
2	रिक्शा चालक स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र शुल्क	25.00

4–नगर की सीमा के अन्तर्गत संचालित नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, प्राइवेट अस्पताल, पैथालाजी सेन्टर, एक्स-रे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, प्राइवेट क्लीनिक व्यवसाय करने वालों के लिए नियमन एवं नियन्त्रण हेतु–

नर्सिंग होम आदि के संचालन की शर्तें

1–कुशल चिकित्सकों द्वारा ही नर्सिंग होम संचालन करना अनिवार्य होगा।

2– इमरजेन्सी में नर्सिंग होम के द्वारा फर्स्ट-एड की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

3–नर्सिंग होम को साफ-सुथरा रखना प्रबन्धकों का दायित्व होगा। स्वच्छता उचित मानदण्डों के अनुसार न पाये जाने की दशा में जुर्माना भी किया जा सकता है।

4–नर्सिंग होम, प्राईवेट अस्पताल, प्रसूति गृह के अन्दर डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा, जिसमें कूड़ा आदि डालना अनिवार्य होगा। नर्सिंग होम, प्राईवेट अस्पताल, प्रसूति गृह के बाहर कूड़ा आदि पाये जाने की स्थिति में जुर्माने के भागीदार होंगे। सर्जिकल वेस्ट को नष्ट करने हेतु इन्सीनेरेटर लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

5–नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, प्रसूति गृह में नियमानुसार शव गृह होना आवश्यक होगा, किसी मरीज की मृत्यु हो जाने की दशा में शव को दो घण्टे से अधिक समय में नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, प्रसूति गृह से निकलने पर एम्बुलेंस आदि का प्रयोग करना आवश्यक होगा, जिसमें नर्सिंग होम, प्राईवेट अस्पताल, प्रसूति गृह के आस-पास जनता को कोई असुविधा न होने पाये।

6–नर्सिंग होम में दूरभाष अनिवार्य है।

7–नर्सिंग होम में मरीजों की जीवन सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपकरण, ऑपरेशन थियेटर व आक्सीजन आदि उपलब्धता अनिवार्य होगी।

8–इसी प्रकार पैथोलॉजी सेन्टर एक्स-रे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक व प्राइवेट क्लीनिक संचालकों को भी पूर्ण रूप से साधन सम्पन्न होना अनिवार्य होगा व उपरोक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

9–आग बुझाने सम्बन्धी उपकरण रखना अनिवार्य होगा।

10–प्राइवेट क्लीनिक के चिकित्सक/क्लीनिक चालक को आयकर विभाग में दाखिल आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि अथवा आय का शपथ-पत्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र के साथ देना होगा।

11–प्रत्येक कार्य की फीस साइन बोर्ड पर दरवाजे के सामने मोटे अक्षरों में अंकित करनी होगी।

12–लाइसेन्स बनवाने की समय अवधि व विलम्ब शुल्क नवीनीकरण लाइसेन्स पर होगी।

13–नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, प्राइवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्स-रे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, प्राइवेट क्लीनिक के संचालकों को प्रतिवर्ष नगर पालिका को नियमानुसार अनुज्ञप्ति शुल्क देना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने की तिथि 1 अप्रैल से 30 जून तक होगी व 1 जुलाई से रु0 100.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क अतिरिक्त रूप से भुगतान करना पड़ेगा।

14–शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

लाइसेन्स शुल्क की वार्षिक दरें

क्र0 सं0	नाम लाइसेन्स	लाइसेन्स/नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्ष	विलम्ब शुल्क	नवीनीकरण लाइसेन्स की अवधि
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	
1	नर्सिंग होम 20 बेड तक	2,000.00	100.00	1 अप्रैल से 30 जून तक
2	नर्सिंग होम 20 बेड से ऊपर	5,000.00	100.00	तदेव
3	प्रसूति गृह 20 बेड तक	4,000.00	100.00	तदेव
4	प्रसूति गृह 20 बेड से ऊपर	5,000.00	100.00	तदेव
5	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00	100.00	तदेव
6	पैथोलॉजी सेन्टर	1,000.00	100.00	तदेव
7	एक्स-रे क्लीनिक	2,000.00	100.00	तदेव
8	डेन्टल क्लीनिक	4,000.00	100.00	तदेव
9	प्राइवेट क्लीनिक (जिनकी आय 5,000.00 मासिक तक हो)	1,000.00	100.00	तदेव
10	प्राइवेट क्लीनिक (जिनकी आय 5,000.00 से अधिक रु0 10,000.00 तक मासिक हो)	2,000.00	100.00	तदेव
11	प्राइवेट क्लीनिक (जिनकी आय रु0 10,000.00 मासिक से अधिक हो)	3,000.00	100.00	तदेव

5–नगर की सीमा के अन्तर्गत संचालित फाइनेन्स कम्पनी/चिटफन्ड, इश्योरेन्स कम्पनी, पशु वधशाला (स्लाटर हाउस), हड्डी खाल गोदाम, बार/बियर, आईस फैक्ट्री, रजिस्टर्ड बिल्डर्स, देशी शराब, भैसा मांस की दुकान, बकरा मांस की दुकान करने वालों के लिए नियमन एवं नियन्त्रण हेतु–

व्यवसायों के सम्बन्ध में शर्तें

1–फाइनेन्स कम्पनी /चिट फण्ड, इंश्योरेन्स कम्पनी की शाखा, आईस फैक्ट्री, रजिस्टर्ड बिल्डर्स, देशी शराब, विदेशी शराब, बार/बियर आदि के व्यवसाइयों को अपनी-अपनी दुकान पर जनसामान्य की सुविधा के लिए बोर्ड पर रेट तथा अन्य शर्तें भी अंकित करनी होगी।

2–समय-समय पर उक्त के सन्दर्भ में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के नियम व आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

3–उल्लिखित व्यवसायी अपना-अपना व्यवसाय अपनी भू-भवन सीमा के अन्तर्गत ही करेंगे अर्थात् नगर पालिका की फुटपाथ, नाला, सड़क पर किसी प्रकार का अतिक्रमण प्रोजेक्शन करके अवरोध नहीं करेंगे।

4–उक्त व्यवसाय से सम्बन्धित गन्दगी आदि हटाने का दायित्व संचालकों का होगा अर्थात व्यवसाय से सम्बन्धी गन्दगी सड़क या फुटपाथ पर नही डालेंगे।

5–इसी प्रकार पशु वध, हड्डी खाल गोदाम, भैसा मांस की दुकान बकरा मांस की दुकान, मुर्गा, मछली, अण्डा के दुकान के स्वामियों के लिए अनिवार्य होगा कि वह किसी भी दशा में वध किये गए पशु के मांस को न तो खुला ले जायेंगे और न ही लायेंगे। विक्रय करने की दशा में चिक/पर्दा लगाना अनिवार्य होगा।

6–वध किये जाने वाले प्रत्येक पशु को वध करने से पूर्व पशु चिकित्सक से परीक्षण कराना भी अनिवार्य होगा।

7–वध होने पर उससे सम्बन्धित गन्दगी, खून, अंतड़ी, पचौनी, खाल आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन करना वर्जित है।

8–विक्रय हेतु वध किये जाने वाले पशुओं का वध, वधशाला में ही करना अनिवार्य होगा। वध किये जाने वाले पशुओं का वध सूर्य उदय से पूर्व करना अनिवार्य होगा।

9–2 अक्टूबर, 15 अगस्त 26 जनवरी, महावीर जयन्ती व अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर किसी भी पशु का वध करना दण्डनीय अपराध होगा।

10–उक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11–लाइसेन्स से सम्बन्धित पूर्व शर्तें पूर्व की भांति प्रभावी रहेंगी तथा प्रतिवर्ष प्रतिपशु प्रतिदिन निम्नानुसार धनराशियां, नगर पालिका को देना अनिवार्य होगा। वार्षिक लाइसेन्स शुल्क 1 अप्रैल से 30 जून तक भुगतान करना अनिवार्य होगा। 30 जून के बाद 10% विलम्ब शुल्क अतिरिक्त देय होगा। (पशु वधशाला, स्लाटर हाउस को छोड़कर)।

12–बार/बियर/शराब की दुकान घनी आबादी, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान से 500 मी0 की दूरी पर होना अनिवार्य है।

13–लाइसेन्स बनवाने की समय अवधि व विलम्ब शुल्क नवीनीकरण लाइसेन्स पर होगी।

14–शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

लाइसेन्स शुल्क की वार्षिक दरें

क्र0 सं0	नाम लाइसेन्स	लाइसेन्स/नवीनीकरण शुल्क वार्षिक	विलम्ब शुल्क प्रतिमाह	लाइसेन्स नवीनीकरण अवधि
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	
1	फाइनेन्स कम्पनी/चिट फण्ड	6,000.00	10%	1 अप्रैल से 30 जून तक
2	इन्श्योरेन्स कम्पनी (प्रति शाखा)	12,000.00	10%	तदेव
3	हड्डी खाल गोदाम	1,000.00	10%	तदेव
4	बार/बियर	6,000.00	10%	तदेव
5	आइस फैक्ट्री	250.00	10%	तदेव
6	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00	10%	तदेव
7	देशी शराब प्रति दुकान	6,000.00	10%	तदेव
8	विदेशी शराब प्रति दुकान	12,000.00	10%	तदेव
9	भैंसा मांस की दुकान	300.00	10%	तदेव
10	बकरा मांस की दुकान	600.00	10%	तदेव
11	पशुवधशाला (स्लॉटर हाउस) छोटे पशु (बकरा, बकरी, भेड़ एवं भेड़ा)	10.00 (प्रति पशु)	–	तदेव

6–नगर की सीमा के अन्तर्गत संचालित आटो रिक्शा 2 सीटर, आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो), आटो रिक्शा 4 सीटर, मिनी बस, व ई-रिक्शा के नियमन एवं नियन्त्रण हेतु–

परिभाषाएं–

(क) ''आटो रिक्शा, बस'' का तात्पर्य उन आटो रिक्शा, बस से है, जो इंजन द्वारा खींची या चलायी जाती है।

(ख) ''ई-रिक्शा'' का तात्पर्य उस ई-रिक्शा से है, जो परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, बैटरी द्वारा चलाया अथवा खींचा जाता हो।

(ग) ''चालक'' का तात्पर्य, उस व्यक्ति से है, जो उपरोक्तों को परिवहन विभाग से वैध व्यवसायिक चालक का लाइसेन्स प्राप्त कर, वाहन चलाना जानता हो।

शर्तें

1–सभी प्रकार के आटो, बस, ई-रिक्शा परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो तथा परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड हो।

2–किसी भी वाहन में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाई जायेंगी और न ही निर्धारित क्षमता से अधिक वाहन में वजन भरा जायेगा।

3–सभी प्रकार के आटों, बस, ई-रिक्शा चालकों के पास वाहन चलाते समय वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।

4–सभी प्रकार के आटो, बस, ई-रिक्शा के लाइसेन्स नगर पालिका परिषद् खोड़ा-मकनपुर, गाजियाबाद से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक बनवाना होगा। 31 जुलाई के बाद लाईसेन्स बनवाने पर, लाईसेन्स फीस के अतिरिक्त सभी प्रकार के आटो पर रु0 200 बस पर रु0 500 व ई-रिक्शा पर रु0 100 विलम्ब शुल्क देना होगा।

5–सभी वाहनों में अग्निशमन यन्त्र रखना अनिवार्य होगा।

6–अगर कोई वाहन 31 जुलाई के बाद खरीदा गया है तो उस पर विलम्ब शुल्क देय नहीं होगी।

7–उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

8–लाइसेन्स बनवाने की समय अवधि व विलम्ब शुल्क नवीनीकरण लाइसेन्स पर होगी।

9–लाइसेन्स बनवाने का शुल्क व विलम्ब शुल्क निम्न प्रकार होगा–

लाइसेन्स शुल्क की वार्षिक दरें

क्र0 सं0	नाम लाइसेन्स	लाइसेन्स का वार्षिक शुल्क	विलम्ब शुल्क	लाइसेन्स की अवधि
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	
1	आटो रिक्शा (2 सीटर)	360.00	200.00	1 अप्रैल से 30 जुलाई तक
2	आटो रिक्शा (4 सीटर)	500.00	200.00	तदेव
3	आटो रिक्शा (7 सीटर)	720.00	200.00	तदेव
4	मिनी बस	1,500.00	500.00	तदेव
5	बस/डम्फर	2500.00	500.00	तदेव
6	ई–रिक्शा	500.00	100.00	तदेव

7–शास्ति

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अधीन, शक्ति का प्रयोग करके, नगर पालिका परिषद् खोड़ा–मकनपुर, गाजियाबाद, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि, नियमावली/उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन होने की दशा में, रु0 500.00 तक का अर्थदण्ड हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त, जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात्, प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें यह सिद्ध हो जाये कि, अपराधी ने अपराध निरन्तर जारी रखा है, रु0 20.00 प्रतिदिन हो सकता है।

रीना देवी,
अध्यक्ष,
न0पा0परि0 खोड़ा-मकनपुर,
गाजियाबाद।

सूचना

फर्म मेसर्स मिश्रा ऑटो मोबाइल्स 128/1 पक्का तालाब क्रासिंग इटावा के पार्टनर पृथ्वी मिश्रा पुत्र स्व0 अतुल कुमार मिश्रा, नि0 45 बी, होटल रश्मि कम्पाउंड, रेलवे स्टेशन बजरिया इटावा के बालिग हो जाने के कारण पूर्व पार्टनरशिप दिनांक 01 जुलाई, 2017 के अनुरूप उक्त फर्म में दिनांक 01 फरवरी, 2020 को व्यवस्थित हो गयी हैं।

श्रीमती सरस्वती मिश्रा,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स दुर्गा प्रसाद गप्पा मल, स्थित श्यामगंज, बरेली उ0प्र0, पिनकोड-243001 (पंजीकरण संख्या बीएआर/0005096) फर्म में कुल 3 साझेदार रमेश चन्द्र खण्डेलवाल, दिनेश चन्द्र खण्डेलवाल व पियूष खण्डेलवाल थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 01 मार्च, 2020 को फर्म में एक नयी साझेदार पिंकी खण्डेलवाल शामिल की गयी हैं तथा फर्म के दो साझेदार रमेश चन्द्र खण्डेलवाल व दिनेश चन्द्र खण्डेलवाल फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 मार्च, 2020 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये हैं, अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदारों का फर्म पर या फर्म का साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल 2 साझेदार पियूष खण्डेलवाल व पिंकी खण्डेलवाल हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

पियूष खण्डेलवाल,
साझेदार,
मेसर्स दुर्गा प्रसाद गप्पा मल,
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम सरस्वती (SARASWATI) अंकित है एवं कुछ अभिलेखों में सरस्वती पाण्डेय (SARASWATI PANDEY) अंकित है। सरस्वती (SARASWATI) एवं सरस्वती पाण्डेय (SARASWATI PANDEY) दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। भविष्य में मुझे सरस्वती पाण्डेय (SARASWATI PANDEY) के नाम से जाना व पहचाना जाये। सरस्वती पाण्डेय पुत्री श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय, निवासिनी 118/27एफ/1ए, चकदाऊद नगर, नैनी, प्रयागराज, उ0प्र0।

सरस्वती पाण्डेय।

पी0एस0यू0पी0–27 हिन्दी गजट–भाग 8–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।